

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2017—फाल्गुन 5, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जनवरी 2017

क्र. ई-1-18-2017-5-एक.—डॉ. एम मोहन राव, भाप्रसे (1987), संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल की सेवाएं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से वापस लेते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री अशोक शाह, भा.प्र.से. (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा

प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. ई-1-464-2015-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2016-AIS (I)-B,

दिनांक 13 जनवरी 2017 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर को राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में दिनांक 13 जनवरी, 2017 को नियुक्त किया गया है, के अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के पद को दिनांक 13 जनवरी, 2017 से भाप्रसे के संवर्गीय पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है।

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदारलाल शर्मा, आयएएस., विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 27 जनवरी 2017 से 28 फरवरी 2017 तक तैतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदारलाल शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1013-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हिमांशु चन्द्र, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला रायसेन को निम्नांकित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 19 से 28 जनवरी 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 29 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित)।
2. दिनांक 6 से 9 फरवरी 2017 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 5 एवं 10, 11, 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित)।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु चन्द्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्र. ई-5-850-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 6 से 9 फरवरी 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 फरवरी 2017 एवं 10, 11, 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर मुकेश कुमार शुक्ल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-988-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 4 जनवरी से 2 जुलाई 2017 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्र. ई-5-409-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस.आर. मोहनती, भाप्रसे (1982) अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 2 से 4 फरवरी 2017 तक तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ

दिनांक 5 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश अवधि में उनके कार्य प्रभार श्री रजनीश वैश, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड तथा विकअ-सह-सदस्य पुनर्वास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्र. ई-1-32-2017-5-एक (ए).—श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे (1987), प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग की सेवाएं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से वापिस लेकर उनकी सेवाएं उनके पैतृक विभाग गृह विभाग को लौटाई जाती है।

(2) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भापुसे (1993), सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सलाहकार, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-32-2017-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भापुसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रभांशु कमल (1985) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
2	श्री रमेश एस. थेटे (1993) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.	—
3	श्री एन. पी. डेहरिया (2001) सचिव, मध्यप्रदेश, शासन वन विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	—
4	श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल (2003) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
5	श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
6	डॉ. फटिंग राहुल हरिदास (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रभांसु कमल द्वारा अपर मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री रमेश एस. थेटे द्वारा सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सचिव सिन्हा, भाप्रसे (1995), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री नंद कुमारम, भाप्रसे (2008), उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्राधिकरण एवं उपसचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(5) श्री संदीप शर्मा (ग्रा.वि.से.) संयुक्त आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्र. ई-5-838-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोहर लाल दुबे, आयएस., सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान को दिनांक 13 से 28 फरवरी 2017 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11, 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री मनोहर लाल दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोहर लाल दुबे द्वारा सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आनंद संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्र. ई-5-689-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएस., आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को दिनांक 23 से 28 जनवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 फरवरी 2017 एवं दिनांक 29 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-869-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश

शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1031-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 28 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का संशोधित/पुनरर्जित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जनवरी 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2017

क्र. ई-5-475-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश वैश, आयएएस, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं.लि. विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को दिनांक 20 फरवरी से 17 मार्च 2017 तक छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं.लि. विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 12 से 17 फरवरी 2017 तक छः दिन का तक हावर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में आयोजित विदेश प्रशिक्षण के अनुक्रम में दिनांक 8 से 11 फरवरी 2017 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान

कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2017

क्र. ई-5-546-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. सी. पी. केशरी, विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 7 से 28 फरवरी 2017 तक बाईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. सी. पी. केशरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-877-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएएस., कलेक्टर, जिला डिण्डोरी को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2017 तक, छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-882-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 26 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1005-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय गुप्ता, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 13 से दिनांक 17 फरवरी 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11, 12 एवं 18, 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री संजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 20 फरवरी 2017 से 4 मार्च 2017 तक तेरह दिन के अनुक्रम में दिनांक 5 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 अप्रैल 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संदीप यादव, भाप्रसे., आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-911-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर को दिनांक 6 से 9 फरवरी 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 10, 11, 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी. भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी., अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1016-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हर्षल पंचोली, आयएएस., सहायक कलेक्टर जिला बैतूल को दिनांक 25 फरवरी से 11 मार्च 2017 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हर्षल पंचोली भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्षल पंचोली भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकअ-सह-संचालक, विमुक्त-धुमकड़ तथा अर्द्धधुमकड़ जाति कल्याण मध्यप्रदेश को दिनांक 28 नवम्बर 2016 से 24 दिसम्बर 2016 तक सत्ताईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-968-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया मीना, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर को दिनांक 23 से 26 नवम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्र. एफ 5-1-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	दिनांक 16-जनवरी 2017 से दिनांक 27 जनवरी 2017.	12	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2017 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-12-2014-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, मध्यप्रदेश उच्च

न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	दिनांक 16-जनवरी 2017 से दिनांक 27 जनवरी 2017.	12	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2017 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. एफ 5-12-2015-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	दिनांक 19 दिसम्बर 2016 से दिनांक 22 दिसम्बर 2016.	04	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्र. ई.-5-945-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. परमार, आयएस., अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 1 अगस्त 2016 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. परमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव 'कार्मिक'.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्र. एफ 1(बी)111-16-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा-2013 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 8177-04-2016-चयन, दिनांक 16 अगस्त 2016 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र. 07 (अनुक्रमांक 107867) सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आर्य, (अनारक्षित महिला वर्ग) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2016 में एवं मुख्य सूची के स. क्र. 21 (अनुक्रमांक 105249) श्री मनोज कुमार प्रजापति (अनुसूचित जाति वर्ग) द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2016 में यह लेख किया है कि उनका राज्य सेवा परीक्षा 2012 में उप पुलिस अधीक्षक की मुख्य सूची में क्रमशः स. क्र. 19 (अनुक्रमांक 209007) एवं स. क्र. 17 (अनुक्रमांक 345024) पर चयन होने के फलस्वरूप ये अपनी नियुक्ति उप पुलिस अधीक्षक के पद पर राज्य सेवा परीक्षा 2012 की चयन सूची के अनुसार चाहते हैं। इस विभाग के आदेश क्र. एफ 1(बी) 108-16-बी-4-दो, दिनांक 7 जनवरी 2017 द्वारा सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आर्य एवं श्री मनोज कुमार प्रजापति को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापना के आदेश जारी किये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आर्य द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2017 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गुना एवं श्री मनोज कुमार प्रजापति द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2017 को पुलिस अधीक्षक, कार्यालय शहडोल में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(2) अतः राज्य शासन द्वारा म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र दिनांक 16 अगस्त 2016 द्वारा इस विभाग को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र. 7 (अनुक्रमांक 107867) में उल्लेखित सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आर्य (अनारक्षित महिला वर्ग) एवं स. क्र. 21 (अनुक्रमांक 105249) श्री मनोज कुमार प्रजापति (अनुसूचित जाति वर्ग) की राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक की चयन सूची के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्र. एफ 1(ए)155-95-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2017 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10-12 के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 18 फरवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करता है।

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, मुरैना द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इक्कीस-ब (एक)-93-2017.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को उनके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए), सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 को अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इक्कीस-ब(एक)462-2017.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री संजय कुमार जैन, (सीनियर), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगमगंज जिला रायसेन को उनके द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16(2-ए), सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 को अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2017

फा. क्र. 3(ए)4060-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 01), राज्य शासन श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम 5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शाहदरा, दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 21 जुलाई, 1978 है.

फा. क्र. 3(ए)4059-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 05), राज्य शासन श्री अशरफ अली पुत्र श्री मोहम्मद मुस्तफा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम 5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गोपालगंज, बिहार है. उसकी जन्मतिथि 24 नवंबर, 1973 है.

फा. क्र. 3(ए)4055-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 06), राज्य शासन श्री उत्सव चतुर्वेदी पुत्र श्री डॉ. बिहारी लाल चौबे को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम 5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गोण्डा, उत्तरप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 19 सितम्बर, 1976 है.

फा. क्र. 3(ए)4057-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 09), राज्य शासन श्री योगराज उपाध्याय पुत्र श्री राजवंश उपाध्याय को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम 5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कैमूर, बिहार है. उसकी जन्मतिथि 31 जनवरी, 1980 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 26), राज्य शासन सुश्री अनुप्रिया पाराशर पुत्री स्व. श्री अरूण पाराशर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 26 जुलाई, 1991 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 28), राज्य शासन सुश्री स्मिता स्वर्णकार पुत्री श्री अशोक कुमार स्वर्णकार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 17 सितम्बर 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 39), राज्य शासन सुश्री बबीता प्रजापत पुत्री श्री कैलाश प्रजापत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 30 मई 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 46), राज्य शासन सुश्री सोनम शर्मा पुत्री श्री एम. एल. शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अन्य अथवा आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 12 फरवरी 1988 है.

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 48), राज्य शासन श्री रावेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी

रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 5 सितम्बर 1983 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 59), राज्य शासन श्री मोहित बड़के पुत्र श्री सुरेश बड़के को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 18 फरवरी 1992 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015 इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 65), राज्य शासन सुश्री गरिमा सिंह पुत्री श्री कैलाश सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 8 जनवरी 1988 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्र. एफ-1-18-2016-सं-तीस.—राज्य शासन एतद्वारा शौर्य स्मारक, अरेरा हिल्स, भोपाल में भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के प्रवेशार्थ वित्त विभाग की सहमति यूओ क्रमांक 33-आर-1007-16-बी-2, दिनांक 23 जनवरी 2017 के अनुक्रम में निम्नानुसार सहयोग राशि निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:—

स. क्र. (1)	विवरण (2)	सहयोग राशि (3)
1	भारतीय नागरिक	रुपये 10.00 प्रति व्यक्ति (10 वर्ष से अधिक)
2	विदेशी नागरिक	5 अमेरिकन डॉलर या रुपये 250.00 प्रति व्यक्ति (10 वर्ष से अधिक)
3	विकलांग	निःशुल्क
4	संस्थाओं के लिए (20 से अधिक समूह के लिए)	रुपये 5.00 प्रति व्यक्ति
5	सैनिक (गणवेश में) या पूर्व सैनिक (परिचय-पत्र के आधार पर) (ऐच्छिक (शौर्य वीथी)	निःशुल्क
1	छायाचित्रण (फोटोग्राफी) के लिये (बिना फ्लेश एवं स्टेण्ड के)	रुपये 50.00 प्रतिदिन
2	ऑडियो गाईड सुविधा	रुपये 50.00 ऑडियो गाईड उपकरण सहित
3	मैजिक फोटो सुविधा	रुपये 50.00 प्रति फोटो (बिना फ्रेम के) रुपये 100.00 प्रति फोटो (मय मार्डिंग)

सामान्य निर्देश—

1. सहयोग राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
2. शौर्य स्मारक परिसर में थैला, हैण्डबैग, खाने-पीने की वस्तुएँ ले जाना वर्जित है।
3. शौर्य स्मारक परिसर में पान, गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान एवं मद्यपान पूर्णतः वर्जित है।
4. शौर्य स्मारक परिसर एवं शौर्य वीथी में स्वच्छता एवं शांति बनाये रखना अनिवार्य है।

5. शौर्य स्मारक परिसर एवं शौर्य वीथी के प्रादर्शों को स्पर्श करना पूर्णतः वर्जित है.
6. शौर्य वीथी में वीडियोग्राफी निषिद्ध है. केवल विशेष परिस्थितियों में लिखित एवं सशर्त अनुमति से ही संभव है.
7. शौर्य स्मारक एवं वीथी की कलाकृतियों को क्षति पहुंचाने पर आर्थिक दण्ड शौर्य स्मारक प्रबंधन के निर्णय अनुसार अधिरोपित किया जायेगा.
8. स्मारक की प्रतिष्ठा अनुरूप एम्फी थियेटर (मुक्ताकाश मंच) का उपयोग संस्कृति विभाग द्वारा किया जायेगा.
9. विशेष परिस्थिति में तथा सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा उपरोक्त वर्णित सहयोग राशि में छूट/रियायत प्रदान की जा सकेगी. विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार एवं विशिष्ट प्रयोजनार्थ स्मारक के परिसर के उपयोग हेतु अनुमतियाँ प्रदान की जा सकेगी. जिसकी सहयोग राशि निर्धारित करने की शक्ति भी विभाग को रहेगी.
10. आयोजनों एवं विशेष अवसरों पर शौर्य स्मारक एवं शौर्य वीथी के समय के संबंध में स्वराज संस्थान संचालनालय/शौर्य स्मारक प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा.
11. सहयोग राशि मध्यप्रदेश के सैनिक कल्याण सेवार्थ एवं स्मारक के संचालन, उन्नयन एवं विकास के उपयोगार्थ राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराई जावेगी. बैंक खाते का संचालन आयुक्त/संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 05 फरवरी 2017

क्र. बी-15-1-2004-चौदह-2.—एतद्वारा राज्य शासन मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संशोधन), अधिनियम, 1982 की धारा 8 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुन्नालाल भदौरिया, ग्राम किशुपुरा तहसील अटेर, जिला भिण्ड को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि हेतु उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम नामनिर्दिष्ट करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्र. डी-17-27-2004-चौदह-3.—राज्य शासन एतद्वारा, राज्य कृषक आयोग की कार्यावधि दिनांक 25 जनवरी 2017 से 24 जनवरी 2018 एक वर्ष के लिये बढ़ाई जाती है एवं श्री ईश्वरलाल पाटीदार, पिता श्री मोतीलाल पटेल, ग्राम पोस्ट घराड़, तहसील रतलाम, जिला रतलाम मध्यप्रदेश को उक्त अवधि के लिए राज्य कृषक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश जारी होने के दिनांक प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2017

एफ 5-4-2013-29-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी सेवाएँ माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा क्र. 75-confdl.-2017-दो-2-25-93 (भाग-4) दिनांक 13 जनवरी 2017 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति

पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	श्री आलोक अवस्थी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, छिंदवाड़ा.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल-क्रमांक-1
2.	श्री हृदेश, तृतीय अपर न्यायाधीश, बैतूल	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर-क्रमांक-1

एफ 5-4-2013-29-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी सेवाएँ माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा क्र. 75-confdl.-2017-दो-2-25-93 (भाग-4) दिनांक 13 जनवरी 2017 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर स्थानांतरित करते हुए, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर स्थानांतरित करते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री प्राणेश कुमार प्राण, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल-क्रमांक-1.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल-क्रमांक-2
2.	श्री जे. आर. बच्चन, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर क्रमांक-1.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर-क्रमांक-2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2017

क्र. एफ 3-58-2016-अट्टारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-58-2016-18-5, दिनांक 12 जनवरी 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पृष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

अनुसूची

सं. क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपांतरण अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मोहम्मदपुरा	218 का भाग	1040	प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर).	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		219 का भाग	450	प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर).	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		226/1 का भाग	4008	प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर).	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		227 का भाग	450	प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर).	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		228/1 का भाग	5850	प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर).	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		228/2 का भाग	1800	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	मिश्रित
		231 का भाग	2700	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	मिश्रित
		246 का भाग	2025	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		247 का भाग	8100	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		248 का भाग	960	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	मिश्रित
2	लालबागमाल	225 का भाग	7650	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	मिश्रित
		226 का भाग	90	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	मिश्रित
		228 का भाग	13050	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	मिश्रित
		229 का भाग	6750	प्रस्तावित रिंग-रोड क्र. 2 (45.00 मीटर).	मिश्रित
		योग . .	<u>54923</u>	वर्गमीटर	

उपरोक्त उपांतरण बुरहानपुर विकास योजना, 2021 का भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना
(संशोधित)

देवास, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्र. 200-भू-अर्जन-17.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची का कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बागली भौरासा मार्ग के कि.मी. 41/10 में लोधरी नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—खोनपीरपिल्या
- (2) तहसील—सोनकच्छ
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्र.	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	कृषि भूमि	श्री रामप्रसाद पिता कनीराम	316/5	0.020
02	कृषि भूमि	शंकरसिंह पिता कनीराम	316/3	0.050
03	कृषि भूमि	देवकरण पिता कनीराम	318/1	0.020

कुल सर्वे नंबर—03 कुल प्रस्ताव—01

उपरोक्त कृषकों की भूमि बागली भौरासा मार्ग के कि.मी. 41/10 में लोधरी नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के अंतर्गत ग्राम खोनपीरपिपल्या की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ के कार्यालय में किया जा सकता है.

देवास, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्र. 207-भू-अर्जन-17.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमिधारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु मण्डलावदा रोक बांध कम पुलिया निर्माण के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

- (1) ग्राम का नाम—कुमारिया
- (2) तहसील—देवास
- (3) जिला—देवास
- (4) कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	भूमि सर्वे नंबर	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	कृषि भूमि	श्री मुरारीलाल, शिवजीराम पिता रामचंद्र, गंगाबाई, सुमनबाई पिता रामचंद्र खाती.	533	0.013
02	कृषि भूमि	श्री जगन्नाथ पिता सावंत खाती	534	0.012
03	कृषि भूमि	श्री राधेश्याम, मोहनलाल, घनश्याम पिता नारायण	535	0.010
04	कृषि भूमि	श्री कमल पिता रामप्रसाद खाती	546/1	0.063
05	कृषि भूमि	श्री लीलाधर पिता हजारीलाल	548/1	0.011
06	कृषि भूमि	श्री चतुर्भुज पिता हजारीलाल	548/2	0.012
07	कृषि भूमि	श्री मानसिंह पिता हजारीलाल	548/3	0.013
08	कृषि भूमि	श्री घनश्याम, अर्जुन पिता बाबूलाल, सोद्राबाई बेवा बाबूलाल	549	0.020
09	कृषि भूमि	श्री सुभाष, मोहन पिता मोतीराम आन्नदीबाई बेवा मोतीराम खटिया.	550	0.021
10	कृषि भूमि	श्रीमती कुताबाई बेवा उमराव खाती	525	0.021
11	कृषि भूमि	श्री राजेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण खाती	554	0.040

कुल सर्वे नंबर—11 कुल प्रस्ताव—01

उपरोक्त कृषकों की भूमि मण्डलावदा रोक बांध कम पुलिया निर्माण के अंतर्गत ग्राम कुमारिया की उपरोक्तानुसार भूमि राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-27-1-2009-ए-16.—राज्य शासन, एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-27-1-09-ए-सोलह, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को अधिक्रमित कर मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् के गठन की कार्यप्रणाली एवं नियमन संबंधी नियमों का अनुसरण करते हुए निम्नानुसार मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् का गठन करता है:—

(क) पदेन सदस्य

1. श्रम मंत्री	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग	सदस्य
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल	सदस्य
4. संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, जबलपुर	सदस्य
5. आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल	सदस्य
6. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, जबलपुर	सदस्य
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर.	सदस्य-सचिव

(ख) मनोनीत सदस्य

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

1. कार्यपालिक निदेशक, भारत देवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल अथवा अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
2. कार्यपालिक निदेशक, विंध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट (एन.टी.पी.सी.) विंध्य नगर, गुना अथवा अधिकृत प्रतिनिधि.	सदस्य
3. कार्यपालिक निदेशक, नेशनल फर्टिलाईजर लिमिटेड, विजय नगर, गुना अथवा अधिकृत प्रतिनिधि.	सदस्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र

4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, भोपाल अथवा अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, रामपुर जबलपुर, अथवा अधिकृत प्रतिनिधि.	सदस्य

(2) निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के प्रतिनिधि

6. श्री विपिन कुमार जैन, महासचिव, मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई-2/30, अरोरा कॉलोनी, भोपाल	सदस्य
7. श्री दीपक झा, सहायक सचिव, फेडरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कामर्स, एण्ड इण्डस्ट्रीज, उद्योग भवन 129/ए, मालवीय नगर, भोपाल.	सदस्य
8. श्री सुरेश माहेश्वरी, अध्यक्ष मध्यप्रदेश टेक्सटाईल्स मिल्स एसोसियेशन, 56, साउथ तुकोगंज, स्ट्रीट नं. 1, इंदौर.	सदस्य
9. श्रीमती मीना पिम्पलापुरे, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश बीड़ी उद्योग संघ, श्री बाबूराव पिम्पलापुरे, मार्ग, 1 सिविल लाईन्स, सागर 470001.	सदस्य

- | | |
|--|-------|
| 10. श्री महेश मित्तल, ऑल इण्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, (एम.पी.एस.बी.) इण्डस्ट्रीयल स्टेट पोलोग्राउण्ड, इंदौर. | सदस्य |
| 11. श्री राधाकिशन खेतान, मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज चेम्बर भवन, ग्वालियर | सदस्य |
| 12. श्री हेमंत मेहतानी, अध्यक्ष एशोसियेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज उद्योग भवन इण्डस्ट्रीयल स्टेट, 96, पोलोग्राउण्ड, इंदौर. | सदस्य |
| 13. श्री तेजकुलपाल सिंह पाली, मंत्री, चेम्बर ऑफ कार्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज, ए-15 सेहगल टावर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल. | सदस्य |
| 14. श्री राजेश महेश्वरी, अध्यक्ष, जबलपुर चेम्बर ऑफ कार्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज | सदस्य |

(3) श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि
भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.)

- | | |
|---|-------|
| 15. श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, म.नं. 4/365, भारत अपार्टमेंट, गौतम नगर, चेतक पुल के पास, भोपाल. | सदस्य |
| 16. श्री के. पी. सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बी 664, ओरिएंट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल. | सदस्य |
| 17. श्री गणेश मिश्रा, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, ठेगड़ी भवन, भारत माता चौक, (डिपो चौराहा) भदभदा रोड, भोपाल. | सदस्य |
| 18. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, बी-14 सेक्टर सी, राजनगर कॉलोनी, पोस्ट डोला, जिला अनूपपुर. | सदस्य |
| 19. श्री सुल्तान सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ 249, शासकीय क्वार्टर, बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन. | सदस्य |

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

- | | |
|--|-------|
| 20. श्री आर. डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष म. प्र. इंटक, एम.आई.जी. 57/3ए साकेत नगर, भोपाल (म. प्र.). | सदस्य |
| 21. श्री श्यामसुंदर यादव, महामंत्री, म. प्र. इंटक, श्रम शिविर, 123 देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर (म. प्र.). | सदस्य |

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)

- | | |
|---|-------|
| 22. श्री रूपसिंह चौहान, महासचिव, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन, कांग्रेस (एटक) मध्यप्रदेश राज्य समिति शाकीर सदन 5 पटेल नगर, लेबर कालोनी, भोपाल. | सदस्य |
|---|-------|

हिन्द मजदूर सभा (म. प्र.)

23. श्री हरिओम सूर्यवंशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
हिन्द मजदूर सभा (म. प्र.) 445, पाटनीपुरा, जिला इन्दौर (म. प्र.). सदस्य

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू)

24. श्री राम विलास गोस्वामी, अध्यक्ष,
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू)
म. प्र. राज्य समिति सीटू कार्यालय
डिलाईट टाकीज के पीछे, लशकर ग्वालियर. सदस्य

श्रमजीवी पत्रकार अथवा गैर पत्रकार संघ

25. श्री रामभुवन सिंह कुशवाह, पत्रकार
100/46, शिवाजी नगर, भोपाल. सदस्य

असंगठित ग्रामीण श्रमिक संगठन

26. श्री धर्मदास शुक्ला, अ. भा. असंगठित सहप्रभारी,
भारतीय मजदूर संघ, ठेंगड़ी भवन, भारत माता चौक
(डिपो चौराहा) भदभदा रोड़, भोपाल. सदस्य
27. श्री सुखलाल वर्मन, अध्यक्ष
असंगठित भारतीय मजदूर संघ,
534 छोटा जैन मंदिर के पास, गढ़ा बाजार,
जबलपुर (म. प्र.). सदस्य

असंबद्ध संगठन

28. श्री धनीराम कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष,
असंबद्ध संगठन, भारतीय मजदूर संघ,
584 सेक्टर 9 बी, साकेत नगर, भोपाल. सदस्य

प्रदेश के एक लोकसभा सदस्य

29. श्री आलोक संजर, संसद सदस्य
ई-8/83, शिवाकुंज, रेल्वे कॉलोनी, भोपाल. सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामांकित चार सदस्य

30. डॉ. राधा राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता, पंतजलि
एयरपोर्ट रोड, इन्दौर म. प्र. सदस्य
31. श्री विनोद रिछारिया,
3, कपड़ा मिल परिसर, चांदवड़,
भोपाल 402024 सदस्य
32. डॉ. राजेन्द्र सिंह सिकरवार,
343, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 32 श्री जगत नारायण सिंह,
पथिक बिहार, सिंगरौली, म. प्र. सदस्य
33. जगत नारायण सिंह,
पथिक बिहार, सिंगरौली. म. प्र. सदस्य

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2017

क्र. 10622-एस.सी.दो-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 नियम 8 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर, राजगढ़, एतद्वारा वर्ष 2017 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (वार) (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	10 मार्च 2017	शुक्रवार	उर्स बाबा बदखशानी
2	17 मार्च 2017	शुक्रवार	रंगपंचमी
3	20 अक्टूबर 2017	शुक्रवार	दिपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन पूजा

तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. 03-व.लि.2-2017.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2-99-एक-4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिए अधिकृत करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राहुल जैन, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक दिन/त्यौहार के लिये वर्ष 2017 के लिये रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का अवकाश का नाम (4)
1	14 मार्च 2017	मंगलवार	होली का दूसरा दिन
2	5 सितम्बर 2017	मंगलवार	अनंत चतुर्दशी
3	20 अक्टूबर 2017	शुक्रवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

राहुल जैन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्र. एस.सी.2-स्था.अव.-24-2017.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम-08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विनोद शर्मा (आई.ए.एस.), कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना, वर्ष 2017 के लिये निम्नानुसार मुरैना जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	14 मार्च 2017	मंगलवार	होली की भाई दूज
2	19 सितम्बर 2017	मंगलवार	सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या
3	20 अक्टूबर 2017	शुक्रवार	गोवर्धन पूजा

यह आदेश बैंक एवं कोषालयों पर प्रभावशील नहीं होगा.

विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्र. 20-कले.स्था-अव.-51-04-2017.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर, जिला श्योपुर, वर्ष 2017 में श्योपुर जिले के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	दिन (3)	दिनांक (4)	अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)
1	होली का दूसरा दिन (भाईदूज)	मंगलवार	14-3-2017	संपूर्ण जिले के लिये
2	मेला छिमाछिमा हनुमान जी विजयपुर	मंगलवार	22-8-2017	तहसील विजयपुर/वीरपुर के लिये
3	दशहरा (महानवमी)	शुक्रवार	29-9-2017	तहसील श्योपुर/कराहल/बडौदा के लिये
4	दीपावली का दूसरा दिन (गोर्वधन पूजा)	शुक्रवार	20-10-2017	संपूर्ण जिले के लिये.

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. आ.-ओलम-2016-17-56.—पूर्व अधिसूचना क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. आ.-ओलम-2016-17-573, दिनांक 29 नवम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड यूनिट बड़वानी तहसील-ठीकरी, जिला बड़वानी (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/विकासखण्ड (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)
1	बड़वानी/ठीकरी	फैक्ट्री गेट	50	2169.3
2	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	09	4.35
3	बड़वानी/सेंधवा	फैक्ट्री गेट	05	4.86
4	खरगौन/कसरावद	फैक्ट्री गेट	40	1963.91
5	खरगौन/खरगौन	फैक्ट्री गेट	01	0.25
6	खरगौन/सेंगावा	फैक्ट्री गेट	02	63.35
7	खरगौन/महेश्वर	फैक्ट्री गेट	05	234.54
8	धार/धरमपुरी	फैक्ट्री गेट	44	1014.42
9	धार/मनावर	फैक्ट्री/गेट	04	116.86
10	धार/उमरवन	फैक्ट्री गेट	33	510.82
11	धार/नालछा	फैक्ट्री गेट	01	0.50
योग . .			194	6083.22

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

विकासखण्ड—ठीकरी (जिला बड़वानी)				(1)	(2)	(3)	(4)
क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर				
(1)	(2)	(3)	(4)				
				41	केसरपुरा	22	49.03
				42	नलवाय	13	19.36
				43	तलवाड़ाडेब	14	67.01
1	कुआं	3	181.47	44	पान्या	22	7.94
2	केरवा	2	14.08	45	रणगांवडेब	29	16.18
3	कपाल्याखेड़ी	3	50.76	46	उचावद	17	48.19
4	घटवा	1	90.75	47	पिछोला	19	0.16
5	आबाली	2	97.40	48	बिलवाडेब	18	0.42
6	भगवानपुरा	2	60.53	49	मेहगांव डेब	11	28.83
7	जरवाह	2	104.18	50	हरीबड़	13	0.19
8	उमरदा	2	44.19				
9	हतोला	13	10.97			योग . .	2169.36
10	सेगवाल	2	119.41	विकासखण्ड—राजपुर (जिला बड़वानी)			
11	ठीकरी	4	206.36	1	ओझर	32	0.20
12	रणगांव	5	38.40	2	रणगांवरोड़	29	0.23
13	खुरमपुरा	5	5.44	3	नागलवाडी	33	0.18
14	मदरान्या	9	5.47	4	आगलगांव	24	0.16
15	रेहड़कोट	11	0.22	5	सनगांव	17	0.24
16	कुंडिया	2	0.30	6	सिनगुन	17	0.24
17	बांदरकच्छ	13	5.60	7	चितावल	18	1.60
18	ब्राम्हणगांव	6	109.06	8	जलखेड़ा	18	0.60
19	लखनगांव	9	14.42	9	सुराना	22	0.90
20	अजंदी	5	10.25			योग . .	4.35
21	देवला	6	25.48	विकासखण्ड—सैंधवा (जिला बड़वानी)			
22	रसवाडेब	10	15.30	1	पिसनावल	45	3.89
23	मारूचिचली	13	93.73	2	वरला	72	0.25
24	चेनपुरा	11	56.49	3	बलवाड़ी	69	0.19
25	गवला	11	61.04	4	दुगाणी	68	0.30
26	कुदामाल	6	0.56	5	खारिया	65	0.23
27	ननगांव	5	26.87			योग . .	4.86
28	दवाना	5	78.39	विकासखण्ड—कसरावद (जिला खरगोन)			
29	विश्वनाथखेड़ा	8	84.63	1	निमरानी	10	31.81
30	बलगांव	5	3.30	2	हतोला	13	7.75
31	कालापानी	4	0.39	3	जरोली	5	31.32
32	टिटगारिया	7	53.64	4	चिचली	6	166.51
33	दाबड़	5	42.33	5	भोईन्दा	5	243.62
34	सेमल्दा डेब	12	9.90	6	कठोरा	7	49.91
35	बावड़िया	17	29.32	7	घाटबेडिया	7	0.66
36	फत्यापुर	19	6.41	8	पथोरा	16	0.26
37	किरमोही	19	46.43				
38	मंडवाड़ा	22	42.28				
39	पिप्लयाडेब	17	24.74				
40	लोहारा	16	61.50				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
39	डोंगरगांव	14	0.25	विकासखण्ड—मनावर (जिला धार)			
40	मेहगांव	18	0.20				
41	गुजरी	23	0.20	1	बड़ा बड़दा	24	97.89
42	पन्धान्या	18	2.44	2	अहमदपुरा	20	25
43	डोल	18	0.72	3	जाटपुर	20	15.80
44	बयड़ीपुरा	16	0.21	4	अजंदीमान	23	2.92
			योग . .				योग . .
			<u>1014.42</u>				<u>116.86</u>

विकासखण्ड—उमरबन**विकासखण्ड—निसरपुर (जिला धार) निल****विकासखण्ड—नालछा (जिला धार)**

1	रतवा	20	26.06
2	देवलरा	13	54.50
3	कोठड़ा	13	104.83
4	टवलई	13	8.60
5	गोगावां	11	31.66
6	पटवार	19	0.70
7	छोटी टवलई	13	34.54
8	कुवाली	23	22.54
9	जलखेड़ा	22	41.02
10	ठनगांव	16	3.46
11	डेडगांव	14	2.49
12	बाकानेर	21	9.50
13	कुंडियापुरा	18	4.14
14	राजपुरा	19	28.91
15	झिरवी	19	10.54
16	अमलाथा	16	18.67
17	सरसगांव	15	11.87
18	अहीरवास	15	2.78
19	कालीबावडी	16	0.30
20	प्रतापपुर	18	1.07
21	मोद कानापुर	12	3.51
22	दाभड़	15	3.82
23	महापुरा	14	6.19
24	मलनगांव	21	48.89
25	मिर्जापुर	21	17.40
26	बालीपुर	15	1.62
27	रंधा	22	1.31
28	कछादड़	22	0.68
29	छितरी	23	1.56
30	किरखेड़ा	26	0.60
31	श्यामजीपुरा	21	2.99
32	कल्याणपुरा	16	2.31
33	दगाड़पुरा	15	1.76
			योग . .
			<u>510.82</u>

1	नालछा	25	0.50
			योग . .
			<u>0.50</u>

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.आ.-मॉ रेवा.-2016-17-55.—पूर्व अधिसूचना क्र.गन्ना-एस-3-क्षे.आ.-मॉ रेवा.-2016-17-654, दिनांक 24 दिसम्बर 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा. लि. नर्मदानगर, तहसील कुक्षी, जिला धार (म. प्र.) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या (हेक्टेयर में)	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धार/कुक्षी	फैक्ट्री गेट	55	654.52
2	धार/गंधवानी	फैक्ट्री गेट	12	23.51
3	धार/मनावर	फैक्ट्री गेट	47	1023.19
4	बड़वानी/अंजड	फैक्ट्री गेट	14	782.61
5	बड़वानी/बड़वानी	फैक्ट्री गेट	34	556.35
6	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	09	20.62
			योग . .	
			<u>171</u>	<u>3060.80</u>

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेगा।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

तहसील—कुक्षी (जिला धार)				(1)	(2)	(3)	(4)
क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर				
(1)	(2)	(3)	(4)				
				45	दाहोद	4.71	2.05
				46	खरजाना	13.6	1
1	चिखल्दा	2.43	77.05	47	गोगावा	15.1	0.7
2	गेहलगांव	4.12	30.8	48	गोरडा	16.4	2
3	मलवाड़ा	3.41	67.19	49	किकरवास	18.2	1.9
4	कड़माल	4.66	44.8	50	जमदा	27.2	2.3
5	खापड़खेड़ा	6.87	32.5	51	अतारसुमा	27.5	1.7
6	बाजड़ीखेड़ा	8.11	25.92	52	खड़जाना	13.3	1.9
7	नर्मदानगर (खेड़ा सिसग)	0.92	152.44	53	बदवानिया	23.7	2.05
8	निसरपुर	9.76	45.05	54	सिद्धी	27.1	2.03
9	कोटेश्वर	11.8	1.19	55	बारुद	13.1	0.79
10	कोणदा	14.8	0.79				
11	दोगावां	17.5	4.7				योग . . 654.52
12	कुआं (धर्मराय)	23.8	2				
13	भवरिया	12.9	12.39	तहसील—गंधवानी (जिला धार)			
14	पिपल्या	5.53	2.14	1	सोनेगांव	17.8	0.97
15	पुरा	2.82	6.5	2	पानवा	24.8	2.15
16	दोंद	4.9	2.4	3	पीपली	17.9	4.71
17	कोठड़ा	10.8	14.91	4	धाड़लाई	15.5	2.04
18	बोधवाड़ा	4.51	21.35	5	जिरावाद	38.5	1.5
19	लिंगवा	3.43	1.9	6	गंधवानी	28.4	1.81
20	बेडबालिया	5.27	4.05	7	देदली	23.5	1.75
21	सुसारी	17.2	17.41	8	मलहर	29.5	2.12
22	करोदीया	8.22	7.78	9	साली	31.2	2.05
23	नवादपुरा	13.6	1.05	10	रोनगांव	28.2	2.18
24	डेहर	17.2	2.9	11	सतुमरी	34.4	1.17
25	देशवालियां	9.45	1.02	12	बखतला	22.2	1.06
26	कुक्षी	19.4	6.07				योग . . 23.51
27	बड़दा	24.5	5.09				
28	पड़ियाल	20.3	3.12	तहसील—मनावर (जिला धार)			
29	कटनेरा	9.37	2.19				
30	कापशी	19.1	10.27	1	देवगढ़	7.47	25.38
31	आली	25.9	2.1	2	कवटी	8.28	41.32
32	सिलकुआ	20.1	1.01	3	साततलाई	7.46	8.03
33	रिक्ती	9.81	1.2	4	सरिफपुरा	21.9	30.05
34	रसवा	9.81	0.1	5	उरदना	20.3	17.05
35	तालनपुर	8.31	1.2	6	सिंधाना	11.8	4.9
36	डोगरगांव	21.8	7.73	7	लोहारी	12.2	3.8
37	पिथमपुर	18.6	7.1	8	गणपुर	3.7	4.14
38	बबुलसा	15.6	1	9	जोतपुर	19.5	10.05
39	अमलझुमा	1.17	2	10	पिपलाज	10.5	7.63
40	धनोरा	11.1	0.8	11	मिर्जापुर	27.2	17.4
41	लोनी	14.6	1.7	12	सेमल्दा	15.5	119.2
42	गोरदा	15.6	0.79	13	अछोदा	13.9	73.05
43	रेक्ती	9.71	1.7				
44	खंडवा	7.12	0.7				

तहसील—राजपुर (जिला बड़वानी)				(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	5	मंदील	25	3
				6	बालकुआं	15	2.05
1	साली	20	3	7	भामी	20	1.07
2	भागसुर	22	2.8	8	मोरनी	25	1.04
3	कासेल	23	1.5	9	उपला	29.5	5.4
4	साकड़	24	0.76				
							योग . . 20.62

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्र. ए.एस.सी.-2017-97.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर, मण्डला वर्ष 2017 में मण्डला जिले के लिये निम्नांकित तिथियों को संपूर्ण दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ.:-

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	स्थानीय अवकाश का नाम (4)
1	14 मार्च 2017	मंगलवार	होली (धूरेडी का दूसरा दिन)
2	20 अक्टूबर 2017	शुक्रवार	दिपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे.

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्र. श्रम-2017.—बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2) एवं 13 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगर-मालवा, बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिये बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूँ:-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, आगर-मालवा

1.	धारा 13(2) ए-अपर जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	धारा 13(2) बी-अजा./अजजा/के सदस्य—	
1.	श्री बलराम भिलाला, नि. कानड, जिला आगर-मालवा	सदस्य
2.	श्री गंगाराम बेगाना, नि. वार्ड क्र. 07, नलखेड़ा	सदस्य
3.	श्री दुलेचंद्र मालवीय, नि. ग्राम सांगाखेडी, तह. बड़ौद, जि. आगर-मालवा	सदस्य
3.	धारा 13 (2)सी-जिले के सामाजिक कार्यकर्ता—	
1.	श्री अजय जैन, मारूबर्डिया नि. बड़ौद रोड, आगर	सदस्य
2.	श्री गोवर्धन लाल शुक्ला, नि. वार्ड क्र. 1, सुसनेर	सदस्य
3.	श्रीमती उर्मिला अरोरा, नि. झण्डा चौक, छावनी, आगर	सदस्य
4.	धारा 13 (2) डी-ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य—	
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आगर-मालवा	सदस्य
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आगर-मालवा	सदस्य
3.	जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, आगर-मालवा	सदस्य

5. धारा 13 (2) ई-वित्तीय साख संस्था के सदस्य
1. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, जिला आगर-मालवा सदस्य
- उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड आगर-बडौद
1. धारा 13(3) ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आगर अध्यक्ष
2. धारा 13 (3) बी-अजा./अजजा/के सदस्य
1. श्री धीरज तंवर, नि. पुराना बस स्टैंड आगर सदस्य
 2. श्री रघु समरावथ, नि. ग्राम करनालिया, तह. बडौद, आगर-मालवा सदस्य
 3. श्री गोर्वधन मालवीय, नि. ग्राम लाला, तह. बडौद, आगर-मालवा सदस्य
3. धारा 13(3) सी जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :-
1. श्री महेन्द्र माहेश्वरी, नि. सदर बाजार, छावनी, आगर सदस्य
 2. श्री मनोज जैन, नि. नाना बाजार, आगर-मालवा सदस्य
 3. श्रीमती चन्द्रमाणी परमार, नि. बस स्टैंड के पीछे उज्जैन रोड, आगर सदस्य
4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य—
1. तहसीलदार, जिला आगर-मालवा सदस्य
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आगर-मालवा सदस्य
 3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, आगर सदस्य
5. धारा 13(3) ई-वित्तीय साख संस्था का सदस्य—
1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, आगर-मालवा सदस्य
6. धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आगर-मालवा. सदस्य
- उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड सुसनेर-नलखेड़ा
1. धारा 13(3) ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुसनेर-नलखेड़ा अध्यक्ष
2. धारा 13 (3) बी-अजा./अजजा/के सदस्य—
1. श्री धिरप सिंह बेलदार, नि. बास्या, जिला आगर-मालवा सदस्य
 2. श्री जगदीश पिता देवाजी भ्यांजा, नि. गैलाना, आगर-मालवा सदस्य
 3. श्री प्रभुलाल पिता सिद्धनाथ मालवीय, नि. पचलाना, आगर सदस्य
3. धारा 13(3) सी जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :-
1. श्री लक्ष्मीनायारण पिता रमेश चन्द्र शर्मा नि. नलखेड़ा जि. आगर-मालवा सदस्य
 2. श्री रियाज खान पिता शब्बीर खान, नि. सुसनेर, जि. आगर-मालवा सदस्य
 3. श्रीमती इन्द्रा पति घनश्याम गर्ग, नि. सुसनेर जि. आगर-मालवा सदस्य
4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य—
1. तहसीलदार, जिला सुसनेर-नलखेड़ा सदस्य
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुसनेर-नलखेड़ा सदस्य
 3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सुसनेर-नलखेड़ा सदस्य
5. धारा 13(3) ई-वित्तीय साख संस्था का सदस्य—
1. प्रबंधक, को-आपरेटिव बैंक, शाखा सुसनेर-नलखेड़ा सदस्य
6. धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी
1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुसनेर-नलखेड़ा सदस्य

डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. 218-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 28-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/14 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/14 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवयकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की गरोठ दबाव युक्त सुक्ष्म सिंचाई परियोजना ग्राम:-भानपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवयकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप 'ख' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम:- भानपुरा क्षेत्रफल 0.233 रकबा 0.201 है.

अनुसूची (1)

स. क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	भानपुरा	0.201	0.000	0.201
	योग	0.201	0.000	0.201

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -I

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	कुल निजी रक्बा	अर्जित रक्बा मीटर में	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	आवासीय	आवासीय मीटर
1	विशाल पिता शीतल जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1633/M1/M2	आवासीय क्षेत्र	0.200	1680 sqm	2010 Sqm
		1633/M2	आवासीय क्षेत्र	0.033	330 sqm	

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 229-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 27-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक (2/11/14) एवं राजपत्र दिनांक (4/11/14) के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की गरोठ दबाव युक्त सुक्ष्म सिंचाई परियोजना ग्राम-कांवली तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम:- कांवली क्षेत्रफल 0.254 रकबा 0.200 है.

अनुसूची (1)

स. क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कांवली	0.200	0.000	0.200
	योग	0.200	0.000	0.200

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -I

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा	
			हेक्टर	असिंचित	सिंचित	
1	प्रेमकंवर बैवा नाहरसिंह बाला कुंवर भोमकुंवर, गेंदकुंवर, गुडडीकुंवर, सरकारकुंवर पिता नाहरसिंह जाति सौधिया राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20/4	0.254	0	0.200	
			कुल रकबा	0.254	0	0.200

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मन्दसौर, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्र. 307-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 17-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor Villege : सम्मतखेडी** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **D-1 Sub Minor: Samatkhedhi** क्षेत्रफल 6.660 रकबा 0.977 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	सम्मतखेडी	0.977	0.000	0.977
	योग	0.977	0.000	0.977

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क्र.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रकबा	कुल निजी रकबा	अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	परसराम पिता बंशीलाल पाटीदार निवासी पता लेदीकला भूमि स्वामी	293/2		2.500		0.290
2	कैलाश बाई बैवा श्रीराम रामदयाल आशा गायत्री रजिता सुनील पिता श्रीराम जाति कलार निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	293/1/ 1		0.620		0.283
3	पदमकुमार पिता माणकचन्द्र जाति जैन निवासी पता संधारा भूमि स्वामी	292		1.650		0.128
4	जुवेदाबी पिता हुसैन खान जाति मुसलमान निवासी पता संधारा भूमि स्वामी	288		1.890		0.276
कुल रकबा				6.660		0.977

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 309-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 21-अ-82-2016-17.-

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँधी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **Main Canal Supply Villegge : कैथूली** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम Main Canal Supply : Khrthuli क्षेत्रफल 32.837 रकबा 2.987 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कैथूली.	2.987	0.000	2.987
	योग	2.987	0.000	2.987

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या कं.	कृषक का नाम	सर्व नं.	पुर्व में लिया गया रकबा	कुल निजि रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
				हेक्टर	असिंचित	सिंचित
1	श्यामसुन्दर, ओमप्रकाश पिता रतनलाल कपूरीबाई पति रतनलाल एवं प्रखरं पिता श्यामसुन्दर ना.ब. श्यामसुन्दर, विकास पिता ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी पता भगवानपुरा भूमि स्वामी	70		1.522		0.230
2	भावरसिंह, रघुराज सिंह पिता जुझारसिंह जाति राजपूत निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी	105/1		1.417		0.233
3	धापूबाई पति मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कैथूली भू-स्वामी	490/2		2.023		0.304
4	हेमराज पिता नन्दा जाति गुर्जर पता कैथूली भू-स्वामी	421/2		2.023		0.320
5	भवरलाल पिता मथूरालाल जाति कुम्हार निवासी भीमपुरा भुस्वामी	426/2/1/2		0.207		0.016
6	नन्दलाल पिता रामेश्वर जाति धाकड पता निवासी भीमपुरा भूमि स्वामी	280/1/1		0.720		0.121
7	विक्रमसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत पता निवासी गोविन्दखेडा भूमि स्वामी	279/1/1/1 279/1/1/2	0.695 0.696	1.391		0.198
8	परमानन्द पिता रतन लाल जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी	247/2		1.619		0.115
9	रतनलाल पिता काशीराम जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी	246/1		1.011		0.100
10	शम्भुलाल पिता बालचन्द्र जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी	246/2/2		1.014		0.100

11	फतेसिंह पिता तरवर सिंह, बहादूर सिंह मानसिंह बलवन्त सिंह, रघुवीरसिंह, सुरतसिंह, उत्सव कुमार पिता श्रवणसिंह जाति राजपूत पता गोविन्दा (राजस्थान) भूमिस्वामी	207		4.144		0.384
12	पुरसिंह, सुदानसिंह, अप्पूसिंह, नैबसिंह, पिता जोरावरसिंह व गंगाबाई बैवा जोरावर व भुवानीसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी कैथूली	332		8.098		0.544
13	बरदीलाल पिता पुर, चन्द्रीबाई पति बरदीलाल चमार भमी स्वामी	334		0.101		0.012
14	छितारमल पिता रामचन्द्र बरदीबाई बर्वा रामचन्द्र जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	854 856	0.466 3.209	3.675	0.010 0.010	0.020
15	मधुबाला पति राजेश कुमार जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी	785/2		1.291		0.060
16	लाडबाई पति संजय कुमार जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी	785/3		1.291		0.050
17	सीमाबाई पति सुरेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी	785/4		1.290		0.180
कुल रकबा				32.837		2.987

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 311-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 22-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- Main Canal Supply Villegge : ढाबलामाधौसिंह तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम Main Canal Supply : Dhabla Madusingh क्षेत्रफल 22.280 रकबा 1.955

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	ढाबला माधौसिंह	1.955	0.000	1.955
	योग	1.955	0.000	1.955

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या कं.	कृषक का नाम	सर्व नं.	पुर्व में लिया गया रकबा	कुल निजि रकबा	कुल अर्जित रकबा
				हेक्टर	सिंचित
1	मुकेश कुमार पिता राधेश्याम जाति महाजन पता निवासी ग्राम ढाबला माधोसिंह भूस्वामी	166/2/2		1.349	0.393
2	अंजुबाई बेवा रामप्रसाद जाति महाजन पता निवासी ग्राम ढाबला माधोसिंह भूस्वामी	166/1/1		0.675	0.035
3	रेशमबाई पति जगदीश जाति चमार पता निवासी ढाबला माधोसिंह भूस्वामी	58/3		1.200	0.000
4	विष्णु पिता रामप्रसाद जाति पाटीदार निवासी पता कागल्याखेडी भूमि स्वामी	625/1		1.012	0.161
5	सुरेश पिता हिरालाल जाति पाटीदार पता निवासी कागल्याखेडी भूमि स्वामी	625/2		1.011	0.161
6	विकास पिता रमेशचन्द्र जाति पाटीदार निवासी पता कागलियाखेडी भूमि स्वामी	625/3		1.012	0.161
7	विनोद कुमार पिता प्रकाश चन्द्र जाति पाटीदार निवासी पता कागल्याखेडी भूमि स्वामी	625/4		1.012	0.161
8	जगन्नाथ पिता कालुराम जाति पाटीदार कुल्मी निवासी पता आमझरी भूमि स्वामी	609		3.735	0.152
9	भूलीबाई बैवा प्रताप अमरीबाई पिता प्रताप जाति भील पता निवासी ढाबला भूमि स्वामी	607/3		0.670	0.097
10	राजकुमार हुकमचन्द्र पिता फुलचन्द्र जाति महाजन पता निवासी संधारा भूमि स्वामी	706		6.799	0.240
11	गंगाराम पिता रामा जाति मेहर पता निवासी ढाबला भूदान कृषक भूराजस्व	745		2.055	0.096
12	हजारी पिता चन्दा जाति चमार निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी	66/1/1/4		0.418	0.100

13	जैसिंग मनसा जगदीश पिता मान्या जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136		0.418		0.148
14	भुपेन्द्रसिंह पिता महेन्द्र सिंह जाति राजपुत पता डा. मा.	118/2		0.914		0.050
कुल रकबा				22.280		1.955

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 313-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 23-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- Main Canal Supply Villege : भरततियाखेडी तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम Main Canal Supply: Bhartiya Khedi क्षेत्रफल 2.851 रकबा 0.080 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	भरतियाखेडी	0.080	0.000	0.080
	योग	0.080	0.000	0.080

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या कं.	कृषक का नाम	सर्वे नम्बर	पुर्व में लिया गया रकबा	कुल निजी रकबा हेक्टर	कुल अर्जित रकबा सिंचित
1	रामसिंह दुलेसिंह हरीसिंह भाई मेहरवान नौदियानबाई ना. ब. पिता कालूसिंह आ. प. कर्ता रामसिंह जाति सौ. राजपूत पता करमदीखेडा भू स्वामी	41/1/1		1.525	0.050
2	रेशमबाई पति देवीसिंह जाति लोहर पता निवासी करमदीखेडा भुस्वामी	53/2		1.326	0.030
	कुल रकबा			2.851	0.080

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 315-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 29-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014
आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. राजपत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के
अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor Villege : कालाकोट** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **D-1 Sub Minor: Kalakot** क्षेत्रफल 26.810 रकबा 2.223 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कालाकोट	2.223	0.000	2.223
	योग	2.223	0.000	2.223

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी	कुल	अर्जित	कुल
			रकबा	निजी	रकबा	रकबा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	मोहनलाल, कस्तुरीबाई पिता गोरीलाल फुलबाई बेवा केशुराम, कल्याण, रामचंद्र पिता केशुराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	410		1.980		0.192
2	रोडीबाई पति भागीरथ जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	408		4.550		0.320
3	लालचंद्र पिता सीताराम व घासीबाई पिता धन्ना दर्यावबाई बेवा धन्ना जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	409		3.370		0.179
4	मुकेश कुमार, अशोक कुमार पिता हीरालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	412		1.270		0.005
5	मोहनलाल पिता डुंगाजी जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	278		0.530		0.147
6	नारायण पिता सेवा जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	281		0.080		0.005
7	देवीलाल पिता सेवा जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	282		0.080		0.005
8	रामचंद्र, नारायण पिता भंवरलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	283		0.480		0.010
9	जोधराज पिता नाथु जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	284		0.690		0.020
10	धन्ना पिता वरदा जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	518/1		0.418		0.041
11	कारुलाल, पिता नारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	518/2 519	1.132 0.920	2.052	0.070 0.038	0.108
12	बजरंग, दुर्गाशंकर, राधाबाई पिता मदन व कंचनबाई बेवा मदन जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	520		2.350		0.224
13	काशीराम पिता भुवाना मांगीलाल, करमाबाई पिता भंवरलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	526		0.380		0.073
14	नारायण पिता बद्रीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	528		1.100		0.128

15	राधेश्याम पिता उदा जाति मेहर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	530		0.510		0.083
16	मुकन्दलाल भेरूलाल, धापुबाई बेवा भेरूलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	534/1		1.365		0.128
17	मांगीलाल पिता भेरूलाल, धापुबाई बेवा भेरूलाल जाति धाकड पता निवासी सा.देह भूस्वामी	534/2		1.365		0.160
18	घासीबाई पति रमेशचंद्र जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	536		1.170		0.076
19	जीवनराम पिता प्रभुलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	537		1.61		0.137
20	रमेशचंद्र पिता बद्रीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	499/2		0.110		0.048
21	जगदीशचंद्र पिता बद्रीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	497/2		0.460		0.054
22	सुन्दरबाई पति रूघनाथ जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	541		0.89		0.080
कुल रकबा हैक्टयर				26.810		2.223

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 317-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 18-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014
आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के
अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor Villege : औसारा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **D-1 Sub Minor: Osara** क्षेत्रफल 66.044 रकबा 5.244 है.

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	औसारा	5.244	0.000	5.244
	योग	5.244	0.000	5.244

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	कुल निजी रक्बा	अर्जित रक्बा	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	गुडडीबाई पति कैलाशचन्द्र जाति अहीर निवासी पता लेदीखूर्द भूमिस्वामी	269		1.052		0.080
2	नन्दलाल पिता गंगा राम जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	271/1		2.280		0.144
3	मांगीलाल पिता गंगाराम पता निवासी औसारा जाति अहीर भूमि स्वामी	271/2		1.281		0.086
4	बापूलाल पिता गंगाराम जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	271/3		1.781		0.086
5	शांति बाई पति देवीलाल जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	271/4/m1		0.750		0.048
6	मोतीलाल पिता कंवरलाल जाति अहीर निवासी पता औसारा भूमि स्वामी	284/2		1.000		0.079
7	कंवरलाल पिता नारायण जाति अहीर निवासी पता औसारा भूमि स्वामी	283/4		1.584		0.158
8	धन्नालाल पिता नारायण जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	283/3		1.584		0.103
9	रतनलाल पिता कारूलाल जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	283/2/m2		1.584		0.036
10	महावीर पिता भैरूलाल खासीबाई बैवा भैरूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम औसारा भूमि स्वामी	283/2/1m		1.585		0.104
11	उदेराम पिता कंवरलाल जाति अहीर निवासी पता औसारा भूमि स्वामी	310		1.234		0.002
12	प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	311		1.939		0.096
13	रतनलाल पूरीबाई प्रेमाबाई पिता जगन्नाथ जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	314/1		2.037		0.184

14	भूली बाई बैवा राधेश्याम व रामदयाल रतनीबाई कलबाई पिता राधेश्याम जाति अहीर निवासी पता औसारा भूमि स्वामी	410/1		1.971		0.151
15	उमेदसिंह मोतीसिंह कैलाशचन्द्र गोपाल मोहनलाल जानकीलाल धन्नालाल पिता कंवरलाल व जडावबाई बैवा कंवरलाल जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	410/3		0.970		0.156
16	मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	408		1.032		0.084
17	धन्नालाल पिता उडडा जाति चमार पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	414		0.587		0.038
18	नन्दूबाई बैवा किशनलाल प्रेमचन्द्र दशरत पिता किशनलाल जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	407		3.577		0.031
19	नन्दूबाई पति किशनलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम औसारा भूमि स्वामी	406/6/1		0.320		0.016
20	रमेशचन्द्र पिता भवानीलाल जाति अहीर निवासी पता औसारा भूमि स्वामी	406/6/2 406/4 406/5	0.500 0.418 0.400	1.318	0.060 0.052 0.012	0.124
21	भवानीशंकर पिता रतन जाति चमार पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	419/1 420/1	0.539 0.270	0.809	0.057 0.057	0.114
22	कौशल्या बाई पति रामप्रसाद मेघवाल जाति मेघवाल पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	419/2 419/4 420/4	0.270 0.270 0.135	0.675	0.026 0.021 0.004	0.051
23	पूरीलाल कामण पिता कामण जाति चमार निवासी पता औसारा भूमि स्वामी	420/2		0.538		0.002
24	देवीलाल मांगीलाल पिता कारु चन्द्रीबाई बैवा कारु जाति चमार पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	420/5 421/1 422	0.270 0.251 0.263	0.784	0.012 0.141 0.062	0.215
25	गंगाराम पिता सीता जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	117		1.586		0.230
26	मोतीलाल पिता पन्ना जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	116		2.760		0.243

27	बाबुलाल पिता कारूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	89/1/2 142/3/3	1.790 0.092	1.882	0.112 0.010	0.122
28	रामगोपाल पिता रामचंद्र जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	115/1		1.256		0.064
29	सांवरलाल पिता उदेराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	115/2/1		0.930		0.144
30	श्यामलाल पिता रामचंद्र जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	115/2/2 114/1	0.327 1.309	1.636	0.067 0.076	0.143
31	जगदीश पिता जगन्नाथ जाति माली पता निवासी ग्राम भूस्वामी	130/1		0.371		0.064
32	राकेश कुमार पिता टीकमचंद्र जैन जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूस्वामी	130/2		0.370		0.012
33	राकेश कुमार मुकेश दिनेश व पिंकी पिता टिकमचंद्र सोहनबाई बेवा टिकमचंद्र जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूस्वामी	133		0.918		0.224
34	देवीलाल पिता वरदीचंद्र जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	132/3		0.308		0.076
35	देवीलाल पिता रामलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	135/4		0.883		0.032
36	कजोडीलाल पिता नाथु जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	148		1.935		0.108
37	काना पिता कैश्या जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	147/1 144	0.161 0.494	0.655	0.045 0.102	0.147
38	सरदार बाई बेवा कारु पता निवासी ग्राम भूस्वामी	147/2		0.082		0.012
39	बद्रीलाल पिता कारूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	145/2 145/3/1	0.159 0.091	0.250	0.005 0.010	0.015
40	उदेराम पिता कारु जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	145/3 142/3/1	0.159 0.092	0.251	0.024 0.010	0.034
41	रामगोपाल धन्नलाल दुर्गा शंकर लीलाराम पिता मांगीलाल व धापुबाई बेवा मांगीलाल जाति अहीर पता निवासी भूस्वामी	168/1/1		2.548		0.224
42	मोतीलाल पिता शंकरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	140/1		3.107		0.134

43	प्रभूलाल राधेश्याम भंवरलाल कस्तुरीबाई बेवा भंवरलाल जाति माली पता निवासी ग्राम भूस्वामी	552/1/1/1		2.275		0.176
44	कजोड पिता राधाकिशन जाति माली पता निवासी ग्राम भूस्वामी	552/1/2		1.884		0.192
45	ललिताबाई बेवा मांगीलाल महावीर निर्मल पिता मांगीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	561		1.639		0.160
46	कजोड पिता काना जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	560/8		0.430		0.054
47	मोहनलाल पिता देवीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	560/9		0.430		0.054
48	लालचंद पिता रामचंद्र व रोडीबाई बेवा रामचंद्र जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	560/10		0.430		0.054
49	पारस पिता कारूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	563		0.955		0.054
50	भागीरथ पिता नानालाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूस्वामी	565/5		1.351		0.140
51	दिनेश पिता कंवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	566/1/1		1.775		0.072
52	गोपाल पिता कंवरलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	566/1/2		0.875		0.072
कुल रकबा हेक्टर				66.044		5.244

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 319-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 16-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ मवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor Villege : लेदीखूर्द** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **D-1 Sub Minor: Ledi Khurd** क्षेत्रफल 39.268 रकबा 2.760 है.

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	लेदीखूर्द	2.760	0.000	2.760
	योग	2.760	0.000	2.760

अनुसूची (1)

मानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	कुल निजी रक्बा	अर्जित रक्बा	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	मनोहर पिता शिव नारायण जाति अहीर निवासी पता लेदीकला भूमि स्वामी	100 101/1	1.416 1.282	2.698	0.124 0.102	0.226
2	चन्द्रबाई पति श्याम बिहारी जाति माली पता तह. रामगंजमण्डी राजस्थान कोटा भूमि स्वामी	187/1	3.080	3.080	0.224	0.224
3	अश्वनी कुमार उमेश कुमार पिता श्यामबिहारी जाति माली निवासी रामगंजमण्डी राज कोटा भूमि स्वामी	187/2	3.790	3.790	0.201	0.201
4	बरदीलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी लेदीखूर्द भूमि स्वामी	197/1	1.145	1.145	0.020	0.020
5	प्रभुलाल, लालचन्द्र गोपाल पिता बालाराम जाति माली पता निवासी लेदीखूर्द भूमि स्वामी	189/1 189/2	2.000 2.452	4.452	0.006 0.198	0.204
6	सावरलाल पिता रामचन्द्र जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	190	3.651	3.651	0.208	0.208
7	पारवती बाई कंवर लाल जाति अहीर पता औसारा भूमि स्वामी	192/1/2		2.500		0.206
8	कारूलाल पिता ओमकर जाति अहीर पता औसारा भूमि स्वामी	201 205	1.668 1.295	2.963	0.158 0.139	0.297
9	धापू बाई पति देवीलाल जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	206/1	1.147	1.147	0.033	0.033
10	पवन कुमार पिता उमेदराम जाति पाटीदार निवासी पता लेदीखूर्द भूमि स्वामी	200	1.028	1.028	0.033	0.033
11	न्यौदान बाई पति उदेराम जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	192/2/1	0.500	0.500	0.038	0.038
12	रामदयाल पिता भैरू जाति अहीर पता निवासी औसारा भूमि स्वामी	192/2/2	1.881	1.881	0.163	0.163
13	रंगलाल पिता देवा जाति अहीर पता लेदीखूर्द भूमि स्वामी	196	3.784	3.784	0.340	0.340
14	संतोष बाई पति बंशीलाल जाति पाटीदार निवासी पता लेदीकला	226/212	1.762	1.762	0.086	0.086

15	धापू बाई पति सिताराम जाति पाटीदार पता निवासी लेदीकला भूमिस्वामी	226/1	1.524	1.524	0.120	0.120
16	शंकर लाल रामदयाल हरिराम पिता भुवाना व धापू बाई बैवा भावना जाति खारोल पता लेदी खुर्द भूमि स्वामी	225	0.959	0.959	0.129	0.129
17	हिरालाल पिता गंगाराम जाति पाटीदार पता निवासी लेदीखुर्द भूमि स्वामी	227/2/2	0.500	0.500	0.031	0.031
18	बसन्तीबाई पति माधुलाल जाति अहीर पता निवासी लेदीकला भूमि स्वामी	227/2/1/2	0.509	0.509	0.081	0.081
19	हुकुम चन्द्र पिता रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी पता लेदीखुर्द भूमि स्वामी	237/1	1.395	1.395	0.120	0.120
कुल रकबा हैक्टेयर				39.268		2.760

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 321-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 24-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग ~~मंत्रालय~~ वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor Villege : नीमथूर** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **D-1 Sub Minor: Neemthour** क्षेत्रफल 44.045 रकबा 4.768 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	नीमथूर	4.768	0.000	4.768
	योग	4.768	0.000	4.768

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या कं.	कृषक का नाम	सर्व नं.	कुल निजि रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	असिंचित	सिंचित
1	प्रभुलाल पिता चुन्नीलाल जाति अहीर पता नीमथूर भू-स्वामी	383/4	0.654	-	0.035
2	कन्हैयालाल पिता चुन्नीलाल जाति अहीर पता नीमथूर भू-स्वामी	383/2	0.653	-	0.065
3	शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाति ब्राम्हण पता नीमथूर भू-स्वामी	376/1	2.563	-	0.096
4	शिवनारायण पिता गोपाल जाति गोसाई पता नीमथूर भू-स्वामी	376/2	1.254	-	0.254
5	लक्ष्मणसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नीमथूर भू-स्वामी	344/1	1.270		0.300
6	सौरम बाई पति सिताराम जाति पाटीदार पता औसरना भू-स्वामी	348/5	1.043		0.202
7	जसवन्त सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नीमथूर भू-स्वामी	344/3	1.270		0.254
8	राधेश्याम, मोहनलाल, सालिगराम पिता मगनलाल व कस्तुरीबाई बेवा मगनलाल जाति कुल्मी पता सम्तखेडी भू-स्वामी	345	2.425		0.296
9	राधाबाई पति हरिशंकर जाति कुल्मी पता औसरना भू-स्वामी	336	1.703		0.356
10	आनन्दीलाल पिता कन्हैयालाल जाति कुल्मी पता नीमथूर भू-स्वामी	332	1.306		0.140
11	हरिशंकर पिता गुलाब जाति कुल्मी पता औसरना भू-स्वामी	327	1.808		0.308

12	राधाबाई पति केशुराम जाति कुल्मी पता औसरना (भैसोदा) भू-स्वामी	308/2		2.737		0.010
13	गायत्री बाई पति बाबूलाल प्रजापति जाति कुम्हान पता मोखमपुरा भू-स्वामी	308/3-2		0.941		0.147
14	रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता औसरना भू-स्वामी	308/3m/1		2.632		0.101
15	जमुना बाई बेवा नुनीतराम बुआ पुष्पा देवी पति धर्मपाल वधवा जाति पंजाबी पता भानपुरा भू-स्वामी	308/4-1		2.319		0.385
16	गुडडीबाई पति गोपाल सिंह जाति सौंधिया राजपूत पता रामनगर गोवर्धनपुरा भू-स्वामी	308/5		1.786		0.150
17	कन्हैयालाल पिता कवर लाल जाति कुल्मी पता औसरना भू-स्वामी	308/6		1.786		0.190
18	घनश्याम पिता कवर लाल जाति कुल्मी पता औसरना भू-स्वामी	308/7		1.786		0.186
19	श्रीराम, सुरेश, बनवारी, ईश्वर, पिता भुवानीराम व अयोध्या बाई बेवा भुवानीराम जाति कुल्मी पता औसरना भू-स्वामी	308/8		1.786		0.162
20	देवीलाल पिता मगन जाति कुल्मी निवासी पता औसरना भूमि स्वामी	287/1		1.280		0.040
21	जगदीश पिता मोतीलाल जाति कुल्मी निवासी औसरना भूमि स्वामी	318/1		2.281		0.210
22	बालचंद पिता कचरु जाति खारोल निवासी निमथूर भूस्वामी	361/3		1.150		0.075
23	देवीलाल पिता जगनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	369/2/3/2 269/3	0.439 0.836	1.275	0.220 0.165	0.385

24	चुन्नीलाल पिता नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	269/2/m 2		1.000		0.011
25	बलराम पिता चतुर्भुज जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	382		2.958		0.290
26	संगीताबाई पति कन्हैयालाल जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम औसरना	678/2/2		1.125		0.050
27	सम्पतबाई पति मांगीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	369/2/4		1.254		0.070
कुल रकबा				44.045	0	4.768

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 323-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 15-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor Villege : गोवर्धनपुरा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **D-1 Sub Minor: Gover Dhanpura** क्षेत्रफल 11.450 रकबा 1.428 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	गोवर्धनपुरा	1.428	0.000	1.428
	योग	1.428	0.000	1.428

अनुसूची (1)

मानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रकबा	कुल निजी रकबा	अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	नारायणसिंह पिता नरवर सिंह जाति सौधिया राजपूत पता निवासी गोवर्धनपुरा भूमि स्वामी	739	1.250	1.250	0.328	0.328
2	नेपाल सिंह पिता धूलसिंह जाति सौधिया राजपूत पता मजरा रामनगर भूमि स्वामी	735/2	0.270	0.270	0.054	0.054
3	सौभाग्यसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति सौधिया राजपूत पता रामनगर मजरा भूमि स्वामी	733	0.750	0.750	0.059	0.059
4	राघुसिंह योगेन्द्र सिंह पिता कालुसिंह जाति सौधिया राजपूत पता मजरा रामनगर भूमि स्वामी	708/2	1.140	1.140	0.054	0.054
5	बनेसिंह पिता मधोसिंह जाति सौधिया राजपूत पता मजरा रामनगर भूमि स्वामी	707	1.630	1.630	0.096	0.096
6	प्रभुसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति सौधिया राजपूत निवासी पता रामनगर मजरा भूमि स्वामी	706/2	0.710	0.710	0.115	0.115
7	अजीतसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति सौधिया राजपूत पता मजरा रामनगर भूमि स्वामी	706/1	0.710	0.710	0.115	0.115
8	मागूसिंह पिता फतेसिंह जाति सौधिया राजपूत पता निवासी मजरा रामनगर भूमि स्वामी	703	1.230	1.230	0.212	0.212
9	श्यामसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया राजपूत पता निवासी मजरा रामनगर भूमि स्वामी	677	0.780	0.780	0.092	0.092
10	मोहनबाई बैवा कालुसिंह व बालीबाई जनसवाई मनोहरबाई धापू बाई निर्मल बाई पिता कालु सिंह व सरदार सिंह गोपाल सिंह नारायणसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया राजपूत पता निवासी मजरा रामनगर भूमि स्वामी	678	0.340	0.340	0.020	0.020

11	गोवर्धनसिंह बद्रीसिंह जनसवाई रेशमबाई शांतिबाई सुमित्रा बाई पिता रोडसिंह मानकुंवर बाई बैवा रोडसिंह श्यामसिंह सोहनबाई पिता करणसिंह कारीबाई करणसिंह जाति सौधिया राजपूत पता निवासी मजरा रामनगर भूमि स्वामी	675	0.500	0.500	0.054	0.054
12	भगवानसिंह गोपाल सिंह राधुसिंह पिता मोतीसिंह जाति सौधिया राजपूत निवासी पता मजरा रामनगर भूमि स्वामी	674	0.840	0.840	0.076	0.076
13	गोपालसिंह नारायणसिंह केशरसिंह पिता पूरसिंह व अन्दरबाई बैवा पूरसिंह जाति सौधिया राजपूत निवासी पता मजरा रामनगर भूमि स्वामी	673	1.300	1.300	0.153	0.153
कुल रकबा				11.450		1.428

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 325-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 14-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-2 Sub Minor Villege : ढाबला माधौसिंह** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **MR-2 Sub Minor: Dhabla Madusingh** क्षेत्रफल 90.881 रकबा 8.023 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	ढाबला माधौसिंह	8.023	0.000	8.023
	योग	8.023	0.000	8.023

अनुसूची (1)
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	कुल निजी रक्बा	अर्जित रक्बा	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	टमाबाई बैवा फूलचन्द्र व राजु राजेश पिता फुलचन्द्र ना. बा. सर परस्त माता टमाबाई जाति नायक पता निवासी हाफसखेडी भूमि स्वामी	1193/2		0.947		0.160
2	मनुबाई पति रूघा जाति बंजारा चमार निवासी पता बावडीखेडा भूमि स्वामी	1239/1		1.721		0.260
3	गोविन्दीबाई पति कैलाश चन्द्र राठौर निवासी संधारा भूमि स्वामी	1258/3		0.625		0.166
4	सम्पती बाई भेरु मांगीबाई ईश्वर बाई पिता भेरु जाति नायक पता निवासी हाफसखेडी भूमि स्वामी	1258/2		0.372		0.016
5	वीरेन्द्र कुमार निर्मल कुमार पति मनोहर लाल राज कुमार हुकुमचन्द्र पिता फुलचन्द्र जाति महाजन पता निवासी संधारा	1251 1256	4.258 0.186	4.444	0.128 0.096	0.224
6	रामसिंह पिता बापुलाल जाति नायक पता निवासी मजरा हापसखेडी भूमि स्वामी	1255		1.214		0.060
7	नन्दलाल पिता मथुरालाल जाति धाकड पता निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1310/2		1.358		0.048
8	भंवरलाल जगन्नाथ नरबदीबाई भूलीबाई कैलाशबाई पिता गोपाल व गुलाबाई बैवा गोपाल जाति नायक पता निवासी हाफसखेडी भूमि स्वामी	1264		0.057		0.034
9	चतरभुज जगदीश पिता रामलाल कंकूबाई बैवा रामलाल सांवत राम बाबूलाल शोभाग पिता काना हरिचन्द्र राधेश्याम अमरसिंह राजू घनश्याम पिता भुवाना पुष्पाबाई बैवा भुवाना नारायण रामचन्द्र पिता गणेश व भूरीबाई बैवा गणेश जाति नायक पता निवासी हाफसखेडी भूमि स्वामी	1263 1266	0.138 0.506	0.644	0.012 0.210	0.222
10	कल्याण रामचन्द्र पिता भेरूलाल जाति धाकड पता निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1306		0.753		0.329

11	दीपचन्द कुन्दन पिता बसन्तीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम संधारा भूमि स्वामी	1308/1		0.279		0.108
12	बालमुकुन्द पिता रामचन्द्र जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगाँव भूमि स्वामी	1342/2		1.442		0.288
13	रामनारायण पिता देवीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगाँव भूमि स्वामी	1342/1		2.883		0.121
14	विरम पिता लछमन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	1185/1		2.561		0.126
15	नन्दुबाई बेवा बापुलाल, पुरीलाल, रामप्रताप, शोभाराम, रामनारायण पिता बापुलाल जाति धाकड पता निवासी बीडगाँव भूस्वामी	1184		3.213		0.286
16	भुलीबाई पिता कारूलाल जाति धाकड पता निवासी ढाबला माधोसिंह भूस्वामी	1181/2		1.933		0.236
17	रामचन्द्र पिता भेरु जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1178		1.621		0.081
18	मांगीलाल पिता भेरु जाति चमार पता निवासी ग्राम हा.मु. मण्डा (राज.) भूस्वामी	1177		0.166		0.028
19	मांगीबाई बेवा देराम, रतनलाल, बाबुलाल पिता देराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	1171/1		1.054		0.188
20	प्रभुलाल पिता रूपा जाति मेघवाल पता निवासी ग्राम ढाबला माधोसिंह भूस्वामी	1063/5/1		0.466		0.052
21	गुलाबचंद पिता रूपा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	1063/5/2		0.467		0.100
22	विरमलाल पिता कामड जाति मेघवाल पता निवासी ग्राम भूस्वामी	1063/6 1064	0.933 0.757	1.69	0.144 0.067	0.211
23	करीम मोहम्मद पिता हुसैन जाति मुसलमान पता निवासी सानडा भूस्वामी	1076		0.91		0.076
24	करीम मोहम्मद पिता हुसैन जाति मुसलमान पता निवासी सानडा भूस्वामी	1075		1.315		0.129
25	नंटीबाई पिता बीरमलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	1074		1.648		0.180
26	कैलाशचंद्र पिता गुलाबचंद्र त्रिलोकचंद्र पिता गुलाबचंद्र ना. बा. नंटीबाई पति गुलाबचंद्र जाति मेघवाल पता निवासी ग्राम भूस्वामी	1088/1		1.605		0.060

27	विरेन्द्रकुमार निर्मल कुमार पिता मनोहरलाल जाति महाजन निवासी पता संधारा भूमि स्वामी	1251	4.258	0.330
28	शशीकला पति सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी पता ग्राम संधारा भूमि स्वामी	1253	0.894	0.186
29	विरम लाल पिता रामलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कालाकोट भूमि स्वामी	1249	2.671	0.259
30	सूरजबाई पति अम्बाशंकर जाति पाटीदार निवासी पता संधारा भूमि स्वामी	1250	2.185	0.119
31	प्रभुलाल पिता दुधा जाति धाकड निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	1252/2	2.428	0.200
32	जगदीश चन्द्र पिता केशुराम जाति धाकड निवासी उण्डवा भूमि स्वामी	1321	1.922	0.112
33	राजाराम पिता नंदा जाति धाकड निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1320/2	1.189	0.108
34	रामलाल पिता भुवाना जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1322	0.688	0.114
35	गणपत पिता गंगाराम जाति धाकड निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	1323/1	1.214	0.005
36	बाबुलाल पिता ग्यारसीराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1323/2	1.214	0.040
37	प्रेमबाई पति रामलाल जाति धाकड निवासी पता ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1327/2	1.619	0.005
38	मुकन्दलाल पिता भेरूलाल धापूबाई बैवा भेरूलाल जाति धाकड निवासी पता कालाकोट भूमि स्वामी	1324/1	0.941	0.040
39	मांगीलाल पिता भेरूलाल धापूबाई बैवा भेरूलाल जाति धाकड निवासी पता कालाकोट भूमि स्वामी	1324/3	1.072	0.132
40	देवीलाल पिता डंगा जाति धाकड पिता निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1318	1.316	0.108
41	शांतिबाई पिता देवा जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1343	1.651	0.105
42	बद्रीबाई पति रामनारायण जाति धाकड पता निवासी बीडगांव भूमि स्वामी	1347/2	0.923	0.121
43	रमेश बाई पति रामेश्वर जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1347/1	0.923	0.006

44	रामेश्वर पिता काशीराम जाति धाकड पता निवासी बीडगांव भूमि स्वामी	1350		0.979		0.115
45	कन्हैयालाल पिता काशीराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1349/3		0.979		0.028
46	ब्रदीलाल पिता काशीराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1349/2		0.979		0.185
47	आत्माराम प्रहलाद पिता मांगीलाल जाति धाकड पता निवासी कालाकोट भूमि हरीराम पिता लक्ष्मण जाति धाकड पता निवासी उण्डवा भूमि स्वामी	1359/1 1359/2	1.263 2.084	3.347	0.095 0.100	0.195
48	मांगीलाल पिता कंवर लाल जाति धाकड पता निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1368		0.729		0.099
49	आनन्दी बाई पति मांगीलाल जाति धाकड पता निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1367/1		0.842		0.102
50	रुकमण बाई पति लक्ष्मीनारायण जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1378/3 1378/1	0.496 0.495	0.991	0.008 0.108	0.116
51	रामरतन पिता भुवाना जाति धाकड पता निवासी उण्डवा राजस्थान भूमि स्वामी	1378/2		0.497		0.108
52	बद्रीलाल पिता भुवाना जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1573/1379/1		0.690		0.080
53	धन्ना पिता वरदा जाति धाकड पता निवासी गाम कालाकोट भूमि स्वामी	1379		1.379		0.150
54	भेरूलाल मांगीलाल कजोड पिता सुखा जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1380/1		1.413		0.150
55	रामलाल पिता धन्नालाल ललिताबाई बैवा फलचन्द्र विनोद टिना कुमारी पिता फुलचन्द्र फुलचन्द्र पिता भंवरलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम उण्डवा भूमि स्वामी	1400		2.157		0.137
56	देवलाल प्रभुलाल पिता बाला जाति धाकड पता निवासी उण्डवा भूमि स्वामी	1376		3.966		0.012
57	आत्माराम प्रहलाद पिता मांगीलाल जाति धाकड पता निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1401/2		0.821		0.102
58	दशरथ पिता नरभेराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम कालाकोट भूमि स्वामी	1401/1		1.422		0.051
59	प्रेमबाई पति रूपचंद जाति धाकड पता निवासी ग्राम उण्डवा राजस्थान	1411/3		0.781		0.054

60	मांगीलाल रामचन्द्र पिता खेमराज जाति धाकड पता निवासी उण्डवा भूमि स्वामी	1410		2.209		0.192
61	बरदीलाल पिता कनीराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम उण्डवा भूमि स्वामी	1419/1/1		2.101		0.184
62	भागीरथ पिता कनीराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम उण्डवा भूमि स्वामी	1419/1/4		2.103		0.184
कुल रकबा हैक्टर				90.881		8.023

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 327-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 12-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, विल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र सं. 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-2 Sub Minor Villege : संधारा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **MR-2 Sub Minor: Sandhara** क्षेत्रफल 43.559 रकबा 3.805 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	संधारा	3.805	0.000	3.805
	योग	3.805	0.000	3.805

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	कुल निजी रक्बा	अर्जित रक्बा	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	पानीबाई पति घासीलाल जाति बंजारा निवासी पता बावडीखेडा भूमि स्वामी	1/2/1/m1 1/2/1/m3	0.194 0.194	0.388	0.035 0.035	0.070
2	साबूबाई पति सूरज जाति बंजारा निवासी पता हापसखेडी भूमि स्वामी	1/2/1/m2		0.194		0.170
3	सुपाबाई पति बाबुलाल जाति चमार बंजारा निवासी पता तारबल्डी सानडा भूमि स्वामी	3/m1-2		0.461		0.100
4	कचरी बाई पिता चन्दा जाति बंजारा निवासी पता तारबल्डी संधारा भूमि स्वामी	3/m1		0.461		0.100
5	नाथु, रामसिंह पिता नानूराम कंचनबाई बैवा नानूराम जाति मोया निवासी पता हापसखेडी भूमि स्वामी	1./1		1.760		0.172
6	मन्नालाल पिता गंगाराम जानीबाई बैवा गंगाराम जाति बंजारा पता निवासी बावडीखेडा भूमि स्वामी	76/m1		2.582		0.289
7	शंकरलाल पिता घासीराम जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/1 111	2.241 0.607	2.848	0.198 0.077	0.275
8	कंचनबाई पति नेमीचन्द्र जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि	199/2		1.214		0.234

9	नन्दा ब्रदी पिता बलदेव जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि	195		1.619		0.108
10	मुथरालाल पिता भेरु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193		1.619		0.150
11	बालाराम पिता रतनलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	210		0.809		0.056
12	राम भरोसेबाई व रामजानकी बाई ना. पिता सिद्धनाथ सरप माता सम्पतबाई बैवा सिद्धनाथ जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	211		1.214		0.112
13	गीताबाई पिता लक्ष्मीनारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	194		1.619		0.112
14	भेरु लक्ष्मीनारायण राधाकिशन जानकीलाल पिता शंकर जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	235		0.660		0.118
15	बापुलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	237/2		0.251		0.012
16	बालचन्द्र मोडलाल रामभरोसी बाई पिता मुथरा व चन्द्रीबाई बैवा मुथरा लक्ष्मीनारायण बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	232		0.980		0.073
17	संतोष बाई पति हरिसिंह जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	238		0.259		0.005
18	हरिसिंह पिता जानकीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239		0.983		0.096

19	कांतीदेवी पति गोवर्धन जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	260		1.518		0.032
20	मनोहर सिंह पिता जानकीलाल अ.पा. कर्ता. पिता जानकीलाल पिता भुवानीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	259		0.336		0.038
21	मगन पिता धुरा सत्यनारायण श्रीराम मनोहरलाल परमानंद राधेश्याम रमेशचन्द्र पिता बापू व लीलाबाई बैवा बापू भेरा पिता कंवरलाल जाति माली पता सा.देह. भूमि स्वामी	818		8.094		0.175
22	चन्दाबाई पति नरेन्द्र कुमार जाति जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	819 820	0.405 2.023	2.428	0.218 0.042	0.260
23	गोपालसिंह पिता अनारसिंह मांगूसिंह पिता चन्दरसिंह जाति सौधिया राजपूत पता निवासी रामनगर भूमि स्वामी	821 822	0.405 1.203	1.608	0.034 0.118	0.152
24	गणपत पिता बलदेव जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	830		1.619		0.075
25	रामलाल पिता देवीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	831		1.619		0.248
26	भवानीशंकर पिता रामा जाति गुर्जर पता निवासी तमोलिया तह रामगंजमण्डी भूमि स्वामी	832/6		1.295		0.184
27	संतोष बाई बैवा बालचन्द्र व अर्चना पिन्दू पंकज पिता बालचन्द्र अ.पा. कर्ता माता संतोष बाई रमेश पिता बट्टीलाल जाति तेली पता सा. देह. भूमि स्वामी	832/3		1.829		0.108

28	शांतिबाई बैवा लालचन्द प्रमोदकुमार मनोहरबाई निर्मलाबाई इन्द्राबाई कुसुमबाई मधु पिता लालचन्द जाति महाजन निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	832/4/1	0.673	0.115
29	घासी पिता रामा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	833	1.619	0.096
30	कारूलाल बालचन्द्र पिता भेरु जाति चमार पता सा.देह. स्वामी	835/2/6	1.000	0.070
कुल रकबा हैक्टर में			43.559	3.805

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 329-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 11-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014
आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के
अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए
ग्राम:- **MR-2 Sub Minor Vilege : सानडा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाष के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **MR-2 Sub Minor: Sanda** क्षेत्रफल 37.080 रकबा 3.143 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	सानडा	3.143	0.000	3.143
	योग	3.143	0.000	3.143

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी	कुल	अर्जित	कुल
			रक्बा	निजी	रक्बा	रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	मांगीलाल शांतिबाई पिता रतनलाल जाति नायक पता निवासी हापसखेडी भूमि स्वामी	639		1.550		0.030
2	केशरबाई पति हरिसिंह व रामचन्द्र पिता किशन जाति नायक पता निवासी हापसखेडी भूमि स्वामी	648/m2		0.910		0.058
3	हरिसिंह रामचन्द्र चांदमल पिता किशन झमकुंवाई बैवा किशन जाति भोया पता निवासी हापसखेडी भूमि स्वामी	649		1.730		0.054
4	रामनिवास पिता कनीराम जाति आजना पता निवासी ग्राम सानडा भूमि स्वामी	343		0.210		0.043
5	प्रहलाद पिता कनीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	344		1.350		0.286
6	रामचन्द्र घासीबाई कंकूबाई पिता गुलाब जाति कुम्हार निवासी पता ग्राम सानडा भूमि स्वामी	309		1.720		0.200
7	रामगोपाल भंवरलाल बालचन्द्र पिता मांगीलाल भगवती बाई बैवा मांगीलाल जाति कुम्हार पता निवासी सानडा भूमि स्वामी	310 307/2	1.010 0.730	1.740	0.040 0.024	0.064
8	मोहनलाल पिता गंगाराम जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम सानडा भूमि स्वामी	307/1		1.130		0.124
9	रमेश पिता कनीराम जाति आजना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308/2		0.110		0.016
10	हिरा धन्ना पिता नाथु जाति चमार पता निवासी सानडा भूमि स्वामी	341/1		0.540		0.033

11	नन्दलाल मुकनलाल राधेश्याम दौलतराम पिता रतनलाल वचन्द्रीबाई बैवा रतनलाल जाति तेली निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	306		1.570		0.190
12	गोविन्द प्रसाद पिता बगदीराम जाति कुल्मी निवासी आमझरी भूमि स्वामी	273/ 780/2		1.220		0.172
13	परसराम पिता बगदीराम जाति जाति कुल्मी पता निवासी आमझरी भूमि स्वामी	273/ 780/3		1.210		0.172
14	भागवती बाई पति रामगोपाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	301		0.730		0.040
15	सुहागबाई पति हेमराज जाजि गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	302		0.780		0.040
16	नन्दा पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/1/1		0.580		0.112
17	छोटू पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/1/2		0.580		0.112
18	रामलाल पिता नन्दा जाति बागरी निवासी पता सानडा भूमि स्वामी	91 90	1.170 0.120	1.290	0.242 0.020	0.262
19	दयाराम पिता लक्ष्मीनारायण सज्जनबाई बैवा लक्ष्मीनारायण जाति आजना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88/1		1.240		0.118
20	परसराम पिता शंकरलाल, जाति आजना पता निवासी ग्राम भूस्वामी	696		0.900		0.056
21	रामनारायण, हरिसिंह, भंवरलाल पिता प्रभु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	614		1.100		0.064
22	रामचंद्र घीसीबाई कंकुबाई पिता गुलाब जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	589		1.940		0.091
23	कारूलाल नन्दुबाई धापुबाई पिता प्यारा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	590		2.540		0.112

24	रामलाल अमरलाल राधेश्याम कारूलाल माधीबाई पिता काना जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूस्वामी	588	1.940	0.117
25	रोडुलाल पिता नारायण जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूस्वामी	572	1.410	0.096
26	तुफानसिंह पिता सज्जनसिंह जाति सौंधिया राजपुत पता निवासी रामनगर भूस्वामी	557	1.800	0.173
27	कनीराम पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	678	2.830	0.170
28	शांति बाई पति जगदीश जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	674	2.430	0.138
कुल रकबा हेक्टर			37.080	3.143

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 331-रीडर-2017-प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2016-17.—

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014
आपसी सहमति से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के
अन्तर्गत धारा - 11 (1) तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-2 Sub Minor Vilege : बीडगांव** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर, तहसील-भानपुरा, ग्राम **MR-2 Sub Minor: Birdgav** क्षेत्रफल 20.980 रकबा 1.737 है.

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	बीडगांव	1.737	0.000	1.737
	योग	1.737	0.000	1.737

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क.	कृषक नाम	सर्वे नं.	निजी रक्बा	कुल निजी रक्बा	अर्जित रक्बा	कुल अर्जित रक्बा
			हेक्टर	हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	परथा पिता देवा जाति धाकड निवासी पता बीडगाव भूमि स्वामी	33	1.670		0.128	
		36	0.400	3.340	0.007	0.325
		35	1.270		0.190	
2	गोकुल बाई पति रामगोपाल जाति धाकड पता निवासी गुराडिया राजस्थान भूमि स्वामी	44	0.120	0.570	0.009	0.074
		55	0.450		0.065	
3	केशरबाई बैवा मांगीलाल भुवानीबाई गोकुल बाई रमेशी बाई पिता मांगीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45	0.200		0.032	
		46	0.180	0.470	0.020	0.057
		47	0.090		0.005	
4	कन्हैयालाल, श्यामलाल, भवरीबाई भुलीबाई, हुरजीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलेशीबाई पिता मांगीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूस्वामी	43	1.290	1.290	0.063	0.063
5	भेरूलाल पिता दौलतराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	336/2	1.000	1.000	0.076	0.076
6	जगदीश लालचन्द्र पिता अमरलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	336/3	1.000	1.000	0.048	0.048
7	शांतिबाई पति देवा जाति धाकड पता निवासी बीडगांव हि 1/2 भाग भूमि स्वामी अशांक कुमार रामस्वरूप पिता किशनलाल जाति धाकड निवासी बीडगांव 1/2 भाग भूमि स्वामी	332	0.360	0.810	0.028	0.137
		329	0.450		0.109	
8	रामलाल पिता भुवाना जाति धाकड निवासी पता बीडगांव भूमि स्वामी	324	0.750	0.750	0.045	0.045
9	राधेश्याम गोपाल रामकन्या बाई कमलीबाई पिता सेवा व धापूबाई बैवा सेवा जाति धाकड निवासी पता बीडगांव भूमि स्वामी	312	1.700	1.830	0.175	0.199
		323	0.130		0.024	
10	केशुराम पिता चुन्नीलाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	309	0.070	0.370	0.035	0.038
		308	0.300		0.003	
11	रोडमल पिता चुन्नीलाल प्यारी बाई बैवा चुन्नीलाल जाति धाकड निवासी पता बीडगांव भूमि स्वामी	354	1.330	1.330	0.120	0.120

12	प्रेमचन्द्र पिता पृथ्वीराज जाति धाकड निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	382 378	0.840 1.000	1.840	0.100 0.010	0.110
13	रामसिंह पिता हीरालाल जाति धाकड पता निवासी संधारा भूमि स्वामी	383	1.420	1.420	0.108	0.108
14	रामेश्वर पिता हेमराज जाति धाकड पता निवासी ग्राम कालाकोट भूमि स्वामी	386	1.920	1.920	0.096	0.096
15	मनोहर लाल पिता बालमुकन्द व गीताबाई बैवा वासुदेव जाति ब्राह्मण निवासी पता संधारा भूमि स्वामी	387	3.040	3.040	0.241	0.241
कुल हेक्टर				20.980		1.737

नोट :- भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2017

प्र.क्र. 13-अ-82-15-16-भू-अर्जन-2015-16.—

प्रकरण क्रमांक 13/ अ-82/15-16/भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 15 (1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कड़िका क्रमांक-(1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक-(2) में वर्णित लोकप्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

—अनुसूची—

भूमि का वर्णन:-

क- जिला :- टीकमगढ़

ख- तहसील:- टीकमगढ़

ग- ग्राम:- दरगुवाँ

घ- लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि:- 15.607 हे.

क्र.	कास्तकार / कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा
1	2	3	4
1	देवीदास त0 प्यारेलाल 3/4 हि. रंधिया पुत्री प्यारेलाल 1/4 हि. लोधी	458/2/1	0.076
		456/1	0.222
		457/1	0.012
		3	0.310
2	देवीदास त0 प्यारेलाल लोधी	458/1	0.134
		1	0.134
3	करन, सोवरन, लखन त0 वृजलाल 9/10 हि. राजाबेटी, रेखा पुत्री वृजलाल 1/10 हि0 लोधी	456/2	0.275
		457/2	0.012
		2	0.287
4	जूजा त0 गुन्वा डीमर	453 , 455	0.105 , 0.077
		454	0.108
		3	0.290
5	जशीदा बेवा बाबूलाल, जगदीश, पुरुषोत्तम त0 बाबूलाल, रामसखी, जानकी, भवानीबाई, शोभा मेवा पुत्री बाबूलाल 1/3 हि0 उमा पत्नि पुरुषोत्तम 1/3 हि0 रती बेवा रामचरन, गनेश संतोष पुरुषोत्तम त0 रामचरन, सावित्री गुल्लो पुत्री रामचरन 1/3 हि. सोनी	396	0.271
		1	0.271
6	जसरथ त0 राधे 1/24 हि0 मेदा पुत्री गनेशा 1/24 हि. राधे मोहन मौजी त0 देवसिंह 5/118 हि. काशीराम धनश्याम रतन गोविन्ददास त0 हल्कन 5/34 हि. लोधी	394	0.131
		1	0.131
7	भुन्दू ठाकुरदास त0 दुर्जन पार्वती पत्नि काशीराम धनबाई पत्नि कुट्टन सौर, हि0 बराबर	460/1	0.150
		461	0.393
		466/1	0.219
		464	0.136
		462	0.113
		5	1.011
8	रुकमनी बेवा कन्नू, ओमप्रकाश, गनेश त0 कन्नू 1/2 हि. मोहन त0 मुन्नू 1/2 हि. माली	475	0.010
		473	0.040
		471	0.364

		502	0.415
		503	0.057
		504	0.073
		505	0.045
		507	0.097
		8	1.101
9	मौनलाल, कमतू, परमलाल त0 बलारे, सरजू भगवती पुत्री बलारे खुमनी बेवा बलारे 1/2 हि. सुखदीन त0 लछुवा 1/4 हि0 प्रीतम त0 लछुवा मुन्नी बेवा लछुवा 1/4 हि. धोबी	511	0.032
		512	0.134
		513	0.057
		514	0.024
		4	0.247
10	काशीराम, धनश्याम, रतन गोविन्ददास त0 हल्कन लोधी	375	0.125
		376	0.036
		2	0.161
11	जसरथ त0 राधे 1/24 हि0 मेदा पुत्री गनेशा 1/24 हि. राधे मोहन मौजी त0 देवसिंह 5/118 हि. काशीराम धनश्याम रतन गोविन्ददास	395	0.656
		1	0.656
12	उदइया त0 दमरा चमार	2090	0.244
		1	0.244
13	उदइया त0 दमरा 1/2 हि. हरदास करिया त0 परमसुख गल्लू, सरजू पुत्री परमसुख 1/2 हि. बुनकर	2091	0.615
		2094	0.471
		2095	0.291
		2096	0.239
		2097	0.129
		2098	0.024
		2099	0.142
		2100	0.142
		2101	0.004
		2102	0.474
		2103	0.049
		2104	0.299
		2105	0.348
		13	3.227
14	दिलीपचन्द्र, रनतलाल त. हल्काई 1/2 हि. दीनदयाल बालचंद्र त0 सरमन 1/2 हि. कलार	2051	0.076
		2049	0.192
		2048	0.300
		3	0.568

15	मेंदा पुत्री नथुवा चमार	2106	0.312
		2107	0.244
		2	0.556
16	गोरेलाल, परमा त0 लटोरा, गौरीबाई पुत्री लटोरा गंगी बेवा लटोरा, राजू त0 लटोरा चमार	2108	0.818
		1	0.818
17	गनेशी, रमेशी त0 अच्छेलाल 1/8 हि. कल्लूबाई पत्नि दमरा 7/8 हि0 चमार	2109	0.200
		1	0.200
18	नन्नू, हल्काई, वचनू, मुरली, अस्सू त0 तुल्ला चमार	2114	0.696
		2115	0.255
		2116	0.350
		2133	0.324
		2134	0.352
		2135	1.023
		6	3.000
19	भरवा उर्फ भैयन त0 कुलुवा कोशिया रामबाई पुत्री कुलुवा डीमर	2127	0.336
		2126	0.032
		2129	0.191
		3	0.559
20	खडिया त0 जन्ता 1/2 हि. हरप्रसाद त0 खडिया 1/2 हि0 काछी	2125/1	0.154
		1	0.154
21	नन्नीबाई बेवा मुन्नी जाति चमार पता नि0ग्राम भूमि स्वामी उदईया, हीरालाल, अच्छे, बुद्धा तनय मुन्नी जाति चमार पता नि0 ग्राम	2137	1.554
		1	1.554
22	तुलसा, लीली पुत्री जसइया 1/5 हि. लल्ली त. जूजा 1/5 हि. परमलाल भागीरथ मुन्ना त0 हीरालाल 1/5 हि. सुदामा पत्नि देवी 1/15 हि. कांटी बेवा खडिया हिरू हरचरन जानकी खुशीलाल त0 खडिया गडरिया 1/15 हि. जूजा त0 राजधर 1/10 हि. धनश्याम त. जूजा करनसिंह भानसिंह त0 बैजनाथ विजयसिंह फूलसिंह त0 भागीरथ ना.बा. वली सर. पिता भागीरथ रामसिंह त. भगवानदास ना.बा. सर. भगवानदास 1/10 हि0 लोधी	2125/3	0.128
		1	0.128
योग :-		64	15.607 हे0

- बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम दरगुवों के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है।
- भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 31 जनवरी 2017

प्र.क्र. 20 अ 82 भू-अर्जन-2016-17-868.—

(भू-अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 11 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकप्रयोजन के लिए ग्राम—पुरा हथरिया प0ह0क्र0-114 रा0नि0 वृत्-05 सुमावली, तहसील व उपखंड जौरा जिला—मुरैना में कुल 65.63 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है.

अतः जिला—मुरैना तहसील—जौरा के ग्राम—पुरा हथरिया, प0ह0क्र0-114 रा0नि0 वृत्-05 सुमावली में उक्त परियोजना के लिए 65.63 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाना है:-
अनुसूची

स. क.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1.	2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.320	विजयसिंह, कुअरपाल, सोनेराम, पंजाव सिंह पि. सोवरन सिंह रामदुलारी पुत्री सोवरन सिंह 5/6 समान कैलासी बेबा रामेश्वर दशरथ पुत्र रामेश्वर लाली पुत्री रामेश्वर 1/6 समान जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	3			0.250	
	4			0.180	
	15			1.280	
	16			0.280	
	17			0.370	
	18			0.370	
2.	5			0.150	श्रीमती हेमलता पत्नी मित्रपाल जाति काठी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	6			0.150	
	7			0.070	
	8			0.190	
	9			0.430	
	10			0.310	
	12			0.170	
	13			0.370	
	43			0.230	
	44			0.220	
46	0.600				
47	0.190				

	202			0.010	
3.	11 124 125			0.480 0.190 0.160	अशोक पुत्र दामोदर नाबा.सर.पिता खुद 42/83 कलावती बेबा रामसिंह पान सिंह रोशन कप्तान पिता रामसिंह रामबेटी रती पिता रामसिंह भाग 3/4 समान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी संजू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी 1/4 दर भाग 41/83 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4.	19 20 21 22 23 24 25 29 45			0.210 0.390 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.160 0.390	पंजाव सिंह पुत्र केशव सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5.	21/373 26 27 28 30			0.330 0.310 0.240 0.210 0.630	वासुदेव परमालसिंह पंजाबसिंह बकीलसिंह तहसीलदार बबूराजा बन्दू उर्फ योगेन्द्रसिंह पिता केशव सिंह 1/2 समान नि. घसटुआ जाति गूठा. रामकिशन पुत्र करन सिंह 1/2 जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6.	30/378			0.470	पंजाबसिंह परमालसिंह बकीलसिंह तहसीलदार सिंह बबूराजा योगेन्द्रसिंह पिता केशव सिंह पता निवासी ग्राम लोहाबसई मजरा घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी
7.	31 32 33			0.260 0.240 0.240	पप्पू सिंह पुत्र रामकिशुन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
8.	34 35			0.250 0.480	मुन्नासिंह पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा लोहाबसई घसटुआ भूमिस्वामी
9.	36 39			0.570 0.060	सरनामसिंह,मेवाराम,रामप्रकाश,वासुदेव,पि. शिवसिंह 1/2 समान, राधेश्याम, पालसिंह, बकील सिंह पि. ओतार सिंह

	40 49 50 51 52 53 54			0.100 0.530 0.280 0.490 0.630 0.110 0.310	1/2 समान जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी
10.	41 42 89 116 117 144 162 163			0.510 0.090 0.260 0.390 0.110 0.160 0.310 0.160	करनसिंह पुत्र रघुवरसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11.	57			0.290	मानसिंह, पृथ्वीराज पुत्रान कुंअरपाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
12.	63			0.620	नरेन्द्र, रवेन्द्र पुत्रगण नाथूसिंह स.भाग 1/2 सोनेराम पुत्र सोवरन हि. 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
13.	79 253			0.470 0.700	कमलेश भूरासिंह, गम्भीर सिंह राजवीरसिंह ऊदयवीरसिंह पुत्र हरीसिंह समानभाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गजेन्द्र सिंह कृपाराम सुरेन्द्र सिंह पिता बहादुर सिंह समान भाग 1/3 जनकसिंह प्रेम सिंह मंगल सिंह पिता चिम्मन सिंह 1/3 समानभाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
14.	81 104			0.200 0.300	मुन्शी पुत्र झम्मन गुड्डीबाई पत्नी मुन्शी जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा समान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
15.	83/1			0.150	पानसिंह पुत्र मुकन्दी सरोज पत्नी पान सिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा समान भाग भूमिस्वामी
16.	88/2			0.100	रनवीरसिंह पुत्र वेदरीसिंह जाति काछी

	155 मि-2 254 मि-8			0.120 0.210	पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
17.	87 88 मि-3 90/1			0.470 0.550 0.450	भगवानसिंह, भूपसिंह, अमरसिंह फूलसिंह पिता परषोत्तम जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वाही अहस्तांतरणीय
18.	88 मि-1 155 मि-3 254 मि-9			0.110 0.110 0.210	रतनसिंह पुत्र वेदरीसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित
19.	111 118 119 131 132 133 134 135 150 151 152			0.320 0.470 0.110 0.210 0.220 0.310 0.190 0.270 0.160 0.240 0.210	धनवन्ती बेबा सरदारसिंह मोहरसिंह, कोक सिंह, धर्मसिंह पि. सरदारसिंह पुष्पा दीपा पि. सरदारसिंह 1/72 संभाग रामजीलाल बलवीरसिंह भवरसिंह, मित्रपाल धारासिंह पुत्रगण चंदन सिंह सूरज बेबा चन्दनसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय कमला मीरा फूलकली गुड्डी कैलाशी पुत्रिया चंदन सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग 11/72 दरभाग 1/6 भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय श्रीलाल लायकसिंह त्रपालसिंह पुत्रान सूबालाल रामप्यारी लोंगश्री पुत्रिया सूबालाल समान भाग 5/36 बैकुन्ती बेबा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पि. गब्बरसिंह सर माँ भारती पूनम रेशमा पिता गब्बरसिंह समान भाग 1/36 जाति काछी पता निवासी ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय बैकुन्ती मुन्नी रामरती सन्तो बर्फी पिता चतुरे 5/7 समान रामदेई बेबा केदारसिंह रिन्कू बा. बृजेश नाबा. पि. केदारसिंह सर माँ खुद रिन्कू बा. अंजली नाबा. पिता केदारसिंह सर. माँ खंद समान भाग 1/7 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समानभाग 01/7 दरभाग 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भगवानसिंह रूकमसिंह भूपसिंह विजेन्द्र सिंह अमरसिंह फूलसिंह पि. पुरुषोत्तम सिंह मु. द्रोपदी बेबा पुरुषोत्तम सिंह राजाबेटी सनेही पुत्रिया पुरुषोत्तम सिंह समान भाग 1/6 रतनसिंह रनबीर सिंह पि. बेदरीसिंह अनाकरली रामदुलारी

					रामप्रकाशी पुत्रिया बेदरी सिंह समान भाग 1/6 जाहर सिंह शिवचरन विशाल पि सलिका रामरती रामबेटी पुत्रियां सलिका समानभाग 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय
20.	112 120 146 218			0.340 0.210 0.210 0.210	अजमेरसिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
21.	113			0.420	अशोक पुत्र दामोदर नाबा. सर.पिताखुद 1/2 कलावती बेबा रामसिंह, पानसिंह रोशन कप्तानसिंह पुत्र रामसिंह, रामबेटी रती पुत्री रामसिंह भाग 3/4 सन्तू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी भाग 1/4 दरभाग 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
22.	114 115 121			0.840 0.590 0.250	नवलसिंह पिता पोहपसिंह भाग 1/2 कलावती बेबा रामसिंह, पानसिंह रोशनसिंह कप्तानसिंह पिता रामसिंह, रामबेटी रती पुत्री रामसिंह भाग 6/7 सन्जू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी 1/7 दरभाग 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
23.	122 123			0.060 0.250	कलावती बेबा रामसिंह, पानसिंह रोशन कप्तान पिता रामसिंह, रामबेटी रती पुत्री रामसिंह भाग 3/4 समान सन्जू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी समान भाग 1/4 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
24.	126 127 145 147 219 220 222			0.310 0.470 0.060 0.240 0.110 0.210 0.110	छिद्दा दर्शनसिंह पिता तेजसिंह बसन्ती शान्ती पिता तेजसिंह समानभाग 4/5 राजाबेटी बेबा रायसिंह श्रीनिवास राजू पिता रायसिंह गंगादेवी रीना पिता रायसिंह समानभाग 1/5 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
25.	128 149			0.470 0.110	भगवानसिंह रूकमसिंह विजेन्द्र सिंह अमर सिंह रूपसिंह फूलसिंह पि. पुरुषोत्तम सिंह मु.द्रोपती बेबा

	159 164			0.240 0.070	पुरुषोत्तम सिंह राजावेटी सनेही पुत्रियां पुरुषोत्तम सिंह जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
26.	129 139 225 226			0.400 0.280 0.020 0.450	बैकुन्टी मुन्नी रामरती सन्तो बरफी पुत्री चतुरे समानभाग 5/7 रामदेई बेवा केदार सिंह रिन्कू बा. बृजेश नाबा. पिता केदार सिंह सर.माँ खुद रीनू बा. अंजली नाबा. पुत्री केदार सिंह सर माँ खुद समान भाग 1/7 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समानभाग 1/7 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
27.	130 136 137 227			0.190 0.090 0.290 0.230	जहारसिंह, शिवचरन विशाल पिता सलिका रामरती राजाबेटी पुत्री सलिका जाति काछी पता निवासी ग्राम समानभाग भूमिस्वामी
28.	138 158 161 165			0.280 0.350 0.200 0.070	रतन सिंह, रनवीरसिंह पि. वेदरीसिंह अनारकली, रामदुलारी, रामप्रकाशी पुत्रीया वेदरीसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
29.	140 153 224			0.300 0.270 0.230	श्रीलाल, लायकसिंह नृपालसिंह पिता सूबालाल रामप्यारी लोगश्री पिता सूबालाल समानभाग 5/6 बैकुन्टी बेबा गब्बर सिंह राजकुमार विष्णू मिथुन नाबा पिता गब्बर सिंह सर माँ खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर सिंह समान भाग 1/6 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
30.	141 156 170 195 213 223 258			0.280 0.220 0.110 0.480 0.440 0.300 0.360	रामजीलाल, बलवीरसिंह, भमरसिंह, मित्रपाल, धारासिंह पिता चंदनसिंह सूरज बेबा चंदनसिंह कमला, मीरा फूलकली गुड्डी कैलाशी पुत्री चन्दनसिंह 11/12 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी धनवंती बेबा सरदार सिंह मोहरसिंह, कोकसिंह, धरम सिंह, पिता सरदारसिंह पुष्पा दीपा पिता सरदारसिंह समान भाग 1/12 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
31.	142			0.260	विजेन्द्रसिंह पुत्र परुषोत्तम भाग 28/57 कलावती बेबा रामसिंह, पानसिंह रोशन

	143 148			0.260 0.050	कप्तान पिता रामसिंह, रामबेटी रती पुत्री रामसिंह भाग 3/4 समान सन्जु लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी भाग 1/4 दरभाग 29/57 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
32.	155 #1			0.430	रुकमसिंह, विजेन्द्रसिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
33.	160 161/383			0.180 0.180	रतनसिंह रणवीरसिंह पिता बेदरिया जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
34.	168 169 210			0.390 0.250 0.150	हरीसिंह बहादुरसिंह विम्मन सिंह पुत्र भगवंत समान भाग जाति काछी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
35.	171 173 189 191 192 194 198 199			0.090 0.430 0.170 0.090 0.110 0.150 0.060 0.130	हाकिमसिंह, मुकन्दीलाल हरीराम पि. रामप्रसाद शान्ती पुत्री रामप्रसाद जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
36.	172 174/380 183 190 193 197 201			0.210 0.320 0.080 0.200 0.270 0.060 0.200	छत्तो बेवा बंदी रामनाथ पुत्र बंदी लोगश्री मुन्नी पुत्री बंदी समान भाग 1/2 रामवती बेवा हरिविलास रामवरन पुत्त सिंह सुरेश पुत्र हरिविलास समान भाग 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
37.	174			0.410	रामदीन, राजेन्द्र पिता भगवन्त वन्तो पुत्री भगवन्त समानभाग 60/71 दर्शनसिंह महेशसिंह पिता भीमसेन हि. 2/3 सूखी बेवा पंचम महीलाल बेदम पि. पंचम सरस्वती गुड्डी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समान भाग 1/3 दर भाग 11/71 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

38.	176 188			0.010 0.370	दर्शनसिंह, महेशसिंह पि. भीमसेन हि. 1/2 सूखी बेबा पंचम महीलाल बेदम पिता पंचम सरस्वती गुड्डी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समानभाग 1/4 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दर्शन महेश पिता भीमसेन कस्तूरी लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमसेन समान भाग 6/7 सूखी बेबा पंचम महीलाल बेदम सरस्वती गुड्डी महाराजो मनोज पिता पंचम 1/7 समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम दर भाग 1/4 भाग भूमिस्वामी
39.	177			0.200	रायसिंह पुत्र तेज सिंह भाग 1/3 दर्शनलाल पुत्र तेज सिंह भाग 2/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
40.	186			0.210	दर्शनसिंह पंचमसिंह, महेशसिंह पिता भीमसेन जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
41.	196			0.480	हाकिमसिंह मुकन्दी हरीराम पिता रामप्रसाद 1/2 समान रामनाथ पुत्र बद्दी भाग 1/4 सुरेश रामबरन पिता हरिविलास समानभाग 1/4 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
42.	204			0.070	हलुकी बादामी पुत्रीयां रघुवरसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
43.	207			0.110	भागवती, सहोद्रा पुत्रियां गोविन्द सिंह समान भाग जाति काछी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
44.	208 299 315 317			0.210 0.390 0.250 0.250	वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गबदा पिता नारायण सिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
45.	209			0.020	रामदयाल रामचरन सुधरसिंह किशनलाल पिता गनपत जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम समानभाग भूमिस्वामी
46.	214 306			0.550 0.370	हेमलता पत्नी रामप्रकाश हि.1/3 रामप्रकाश पुत्र भल्लु हि.1/3 उर्मिला पत्नी रंगलाल हि.1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

47.	228 259 260			0.190 0.090 0.480	नरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
48.	238/2			0.450	रमेश रामविलास पिता माधूसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
49.	239			0.310	पीतमसिंह सुल्तानसिंह पिता अजमेर सिंह हि. 4/31 रामविलास रमेश पिता माधूसिंह हि. 21/31 चन्टे पिता माधूसिंह हि.6/31 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
50.	254 मि-3			0.110	गजराज पुत्र नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
51.	254 मि-4			0.550	भारतसिंह पुत्र भल्लूसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
52.	254 मि-5			0.630	विशाल सिंह पुत्र सलिका जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तान्तरणीय
53.	254 मि-6			0.170	सुल्तानसिंह पीतमसिंह पिता अजमेरसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
54.	254 मि-7			1.250	हरीसिंह बहादुरसिंह चिम्मनसिंह पिता भगवन्त जाति काछी पता निवासी ग्राम सगमान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
55.	254 मि-10			0.100	सोनेराम पंजाबसिंह पिता सोवरनसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम सगमान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
56.	254 मि-11			1.050	कलावती बेवा रामसिंह पानसिंह रोशन कप्तान पिता रामसिंह रामबेटी रती पिता रामसहि 3/4 समान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित सन्जू लालू पिता मुरारी राजकुमारी पुत्री मुरारी हि.1/4 समान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित
57.	256			0.430	श्रीलाल लायकसिंह नृपालसिंह पिता सूवालाल रामप्यारी लोगश्री पिता सूबालाल समानभाग 5/6 बैकुन्ती बेवा

					गब्बरसिंह राजकुमार विष्णू मिथुत नाबा. पिता गब्बरसिंह सर.मां भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर सिंह समान भाग 1/6 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम दरभाग 65/117 भाग भूमिस्वामी रामबेटी पत्नी नृपालसिंह जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भाग 52/117 भाग भूमिस्वामी
58.	257			0.360	श्रीलाल लायकसिंह नृपालसिंह पिता सूवालाल हि.3/4 बैकुण्ठी बेवा गब्बर राजकुमार विष्णू मिथुत नाबा.पिता गब्बर सर.मां खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर सिंह हि. 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
59.	261 262			0.800 0.360	दर्शन महेश पिता भीमा कस्तूरी लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमा हि. 6/7 समान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सूखी बेवा पंचम महीलाल वेदम पिता पंचम सरस्वती गुडडी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समानभाग 1/7 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
60.	271मि.1			0.280	श्रीलाल लायकसिंह निरपालसिंह पिता सूवालाल हि.3/4 बैकुण्ठी बेवा गब्बर राजकुमार विष्णू मिथुन नाबा.पिता गब्बर सर.मां खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समान भाग 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तातरणीय
61.	288			0.210	जाहरसिंह पुत्र पतिराम देवी पत्नी जाहर सिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा समानभाग शासकीय पट्टेदार
62.	289			0.310	कल्ली पुत्र जिमीपाल प्रेमवती पत्नी कल्ली जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा समानभाग भूमिस्वामी
63.	290			0.520	रामहेत पुत्र जीवाराम, कैलाशी पत्नी रामहेत समानभाग जाति जाटव पता निवासी ग्राम विरुगा समानभाग भूमिस्वामी
64.	291 300			0.260 0.270	रमेश पुत्र माधो सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

	308			0.160	
	313			0.260	
	328			0.110	
	335			0.110	
	345			0.550	
	346			0.110	
65.	298			0.270	छत्तो बेवा बद्री रामनाथ पुत्र बद्री लोगश्री मुन्नी पुत्री बद्री हि.1/2 समान रामवती बेवा हरविलास रामवरन पुत्तूसिंह सुरेश पिता हरविलास समानभाग 1/2 दर भाग 11/69 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हाकिमसिंह मुकन्दी हरिराम पिता रामप्रसाद समानभाग 11/69 रामदीन राजेन्द्र पिता भगवन्त समानभाग 16/69 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दर्शन महेश पि. भीमा कस्तूरी लीलावती सिरमिती मुन्नी पिता भीमा 6/7 सूखी बेवा पंचम महीलाल वेतम पिता पंचम सरस्वती गुड्डी महाराजो मनोज पुत्री पंचम समानभाग 1/7 दरभाग 31/69 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
66.	301			0.280	रामविलास पुत्र माधोसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	303			0.100	
	309			0.100	
	310			0.090	
	314			0.110	
	330			0.140	
	331			0.430	
	349			0.300	
	350			0.110	
67.	302			0.110	चन्टे पुत्र माधौ जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	304			0.100	
	313/381			0.370	
	325/382			0.260	
68.	307			0.180	मल्लूसिंह पुत्र माधौसिंह जाति पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	318			0.190	
	325			0.350	

	326			0.400	
	327			0.650	
69.	311			0.160	वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गबदा पिता
	312			0.110	नारायण सिंह प्रेमा जीरो मीना पिता
	319			0.110	नारायणसिंह 1/10 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तातरणीय राजेन्द्र पुत्र माधौ फूलवती पुत्री माधौ सतीष पुत्र इन्द्रकली भाग 1/10 भल्लूसिंह चन्टे रामविलास रमेश पिता माधौसिंह इमतिया रामकटोरी रामबाई रामकली पुत्री माधौसिंह हि. 8/10 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
70.	320			0.550	राजेन्द्र पुत्र बाबूसिंह फूलवती पुत्री
	322			0.370	बाबूसिंह सतीश पुत्र इन्द्रकली जाति
	336			0.250	कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग
	337			0.280	भूमिस्वामी
	338			0.310	
71.	323			0.180	रामप्रकाश पुत्र भल्लू हि.74/95
	324			0.360	भरतसिंह पुत्र भल्लू हि. 21/95 जाति
	332			0.110	कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
	333			0.190	
	334			0.110	
72.	344			0.940	छत्तो बेबा बद्दीसिंह हरिविलास पि.
	345/375			0.060	हरिदेव स.भा.1/10 हाकिम सिंह
	351			0.610	मुकन्दीसिंह हरीराम पि. रामप्रसाद भूमिस्वामी शांती पुत्री रामप्रसाद स.भा 1/10 दर भार 1/5 भूमिस्वामी पुरुषोत्तम पुत्र गोविन्दा भा. 1/5 बाबूसिंह पुत्र माधौसिंह भा. 1/5 नारायणसिंह पुत्र माधौसिंह भाग 1/10 रामसिंह पुत्र पोहपसिंह 1/10 दर.भा. 1/5 भाग भूमिस्वामी भल्लूसिंह पुत्र माधौ सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भा. 1/5 भाग भूमिस्वामी

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 2 फरवरी 2017

प्रकरण क्रमांक 01-2016-अ-82.—

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की पावई-पृथ्वीपुरा मार्ग परियोजना के लिये ग्राम-महाराजपुरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड में मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामियों द्वारा नीति की काण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की काण्डिका 11 (1) के अंतर्गत सर्व साधारण के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने वाले पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

क्रय (अर्जन) की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला	—	भिण्ड
तहसील	—	अटेर
ग्राम	—	महाराजपुरा
क्षेत्रफल	—	रकवा 1.110 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/जाति एवं निवास सीता	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण (हे. में)			अन्य परिसंपत्ति
		प्रस्तावित सर्वे क्रमांक	कुल रकवा	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे.	
1	2	3	4	5	6
1	रामदयाल पुत्र छोटे जाटव नि. बसवाया भूमि स्वामी	148	0.27	0.01	—
		140	0.62	0.05	—
		136	0.09	0.01	—
		189	1.62	0.43	—
		किता 4	—	0.50	—
2	रामबेटी, कमला, रामबाई पुत्रीयान बंशी भाग 1/2 राजेन्द्रसिंह, उदयसिंह पुत्र घाघू भाग 1/2 नि. बसवाया भूमि स्वामी	146	0.31	0.01	—
3	रामबेटी, कमला, रामबाई पुत्रीयान बंशी राजेन्द्रसिंह, उदयसिंह पुत्र घाघू भाग नि. बसवाया भूमि स्वामी, कमलेश पुत्र मातादीन रकवा 0.07 हे.	139	0.35	0.10	—
4	मलखानसिंह, जबरसिंह, मायाराम, श्यामलाल, कमलेश पुत्राण मातादीन जाटव नि. बसवाया का पुरा, समभाग भूमि स्वामी	134	0.30	0.02	—
		194	0.19	0.06	—
		135/3	0.60	0.01	—
		137/1	0.18	0.04	—
		62/2	0.22	0.04	—
		195	0.12	0.09	—
		किता 6	—	0.26	—

5	मु. रामकली बेबा बंशी, नरेशसिंह, पानसिंह अजबसिंह नाबा. संर. मां रामकली खुद जाटव नि. बसवाया भूमि स्वामी	190	0.23	0.14	-
6	मोकमसिंह, अंतरसिंह, सुरेशसिंह, तिलकसिंह पुत्रगण विजयसिंह, दीपक पुत्र अभयसिंह समानभाग नि. बसवाया भूमि स्वामी	62/1	0.21	0.04	-
7	लाखनसिंह, अविनाशसिंह पुत्रगण भोगीराम, संजय पुत्र जगदीश नि. बसवाया भूमि स्वामी	62/3	0.22	0.04	-
		137/2	0.09	0.02	-
		किता 2	-	0.06	-

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा भिण्ड, में किया जा सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी अटेर, जिला-भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम चंबल-संभाग ग्वालियर में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 02-2016-17-अ-82.—

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की पावर्ड-पृथ्वीपुरा मार्ग परियोजना के लिये ग्राम-सौरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड में मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामियों द्वारा नीति की काण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की काण्डिका 11 (1) के अंतर्गत सर्व साधारण के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने वाले पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

क्रय (अर्जन) की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला	—	भिण्ड
तहसील	—	अटेर
ग्राम	—	सौरा
क्षेत्रफल	—	रकबा 1.800 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/जाति एवं निवास स्थान	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण (हे.में)			अन्य परिसंपत्ति
		प्रस्तावित सर्वे क्र.	कुल रकबा (हे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	
1	2	3	4	5	6
1	परमसुख (फौत) पुत्र मुन्नी वारिस —रामवीरसिंह पुत्र परमसुख नि. मिहोनी भूमिस्वामी जा. बघेल	12	0.070	0.060	—
2	रामअवतार पुत्र जोरसिंह जा. ठाकुर नि. अंगदपुरा भूमिस्वामी	13 65 कित्ता 2	0.130 0.940	0.080 0.030 0.110	— — —
3	अमरसिंह पुत्र देवी भाग 1/2 जा. बघेल नि.ग्राम भूमिस्वामी, रामअवतार पुत्र जोरसिंह भाग 1/2जा.ठा. नि. अंगदपुरा	44	0.190	0.030	—
4	रामजीत, दशरथसिंह पुत्रगण रामरतन जा.बघेल समानभाग भूमि स्वामी	62	0.210	0.150	—
5	गंगासिंह, मोहनसिंह, पुत्रगण दौलतसिंह जा. बघेल नि.ग्राम भूमि स्वामी	63	0.260	0.050	—

6	रामसिंह, लौंगीराम पुत्रगण बीरबल समान भाग 2/3 मु. दौजाबाई, रूपसिंह, सर्वेश, गंगावासी पुत्रगण रूपसिंह समानभाग 1/3 जा. बघेल नि.ग्राम भूमि स्वामी	46	0.200	0.110	—
		61	0.490	0.050	—
		किता 2		0.160	—
7	फूलसिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्रगण बालमुकुन्दसिंह समान भाग 2/3 वासुदेव पुत्र रामदीन भाग 1/3 जा. बघेल नि.ग्राम भूमि स्वामी	59	0.510	0.050	—
8	रामप्रकाश, रामकिशन, रामनरेश पुत्रगण जीवाराम समान भाग 1/3, जीवाराम पुत्र खूबी भाग 1/3, काशीराम पुत्र जसराम भाग 1/3 जा.तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी	240	0.370	0.030	—
9	मुन्नीलाल पुत्र परमोले जा. तेली नि. ग्राम भूमिस्वामी	241	0.500	0.100	—
		242	0.300	0.120	—
		243	0.200	0.040	—
		267	0.080	0.030	—
		किता 4		0.290	—
10	इन्द्रादेवी बेवा मायारामरावेन्द्र जगवीर बा. शैलेन्द्र नाबा. पुत्रगण मायाराम स्म. मां. खुदू जा. गुर्जर नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	268	0.100	0.030	—
		178	0.300	0.010	—
		290	0.510	0.120	—
		किता 3		0.160	—
11	हरेन्द्रसिंह पुत्र हाकिमसिंह भाग 3/4, भागवती बेवा गन्धर्व सिंह भाग 1/4 जा. गुर्जर, नि. ग्राम भूमि स्वामी	294	0.160	0.040	—
		295	0.820	0.010	—
		किता 2		0.050	—
12	रुस्तमसिंह पुत्र गोपीसिंह जा. गुर्जर, नि. ग्राम भूमि स्वामी	181	0.230	0.010	—
13	पुजारी लाल, मिखारीलाल पुत्रगण डरू मु. लौंगश्री बेवा डरू समानभाग 1/4, सियाराम, जैराम पुत्रगण भवासी समान भाग 1/4, मेहरवान पुत्र कालीचरन भाग 1/8 ईश्वरदयाल पुत्र महावीर मु. महादेवी बेवा महावीर समान भाग 1/8, जा. मल्लाह, नि.ग्राम भूमिस्वामी, सुरेश भगवती पुत्रगण आशाराम समान भाग 1/8, दिलीपसिंह, फोदत्र.सिंह पुत्रगण ऐलम समानभाग 1/8 जा. मल्लाह नि.मलपुरा	182	0.050	0.020	—
14	पुजारी लाल, मिखारीलाल पुत्रगण डरू मु. लौंगश्री बेवा डरू समानभाग 1/3, ईश्वरदयाल पुत्र महावीर मु. महादेवी बेवा महावीर प्रसाद समान भाग 1/6, रामझानी, राजवीर, मुकेश पुत्रगण मेहरवान भाग समान 1/6 पुजारीलाल, मिखारीलाल पुत्रगण डरू, समान भाग 1/3 जा. मल्लाह, नि.मलपुरा	191	0.730	0.100	—
15	संतोखीलाल, विधाराम गेन्दालाल रामदास पुत्रगण मातादीन जा. बघेल, नि. ग्राम समानभाग 1/2 भूमि स्वामी, रामेश्वर, रामप्रकाश पुत्रगण वैजनाथ समानभाग 1/2 जा. बघेल नि. ग्राम भूमि स्वामी	88	0.850	0.030	—
		84	0.230	0.010	—
		71	0.380	0.020	—
		किता 3		0.060	—
16	रामा बेवा रामदीन वासुदेव पुत्र रामदीन समान भाग 1/3 फूलसिंह लक्ष्मण सिंह पुत्रगण बालमुकुंद जा. बघेल नि. ग्राम समान भाग 2/3 भूमि स्वामी	87	0.200	0.010	—
17	बेनीराम पुत्र मित्रपाल जा. बघेल नि. ग्राम भूमि स्वामी	70	0.170	0.020	—
		68	0.150	0.010	—
		किता 2		0.030	—
18	रामकली बेवा रामनाथ, रुस्तम सिंह, परमालसिंह, तहसीलदार सिंह, गुड्डूसिंह पुत्रगण रामनाथ जा. बघेल नि. ग्राम भूमि स्वामी	292	0.190	0.130	—
19	मुन्नालाल पुत्र मित्रपाल जा. बघेल नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/703	0.170	0.030	—
		68/702	0.160	0.020	—
		किता 2		0.050	—

20	रामकली बेवा रामनाथ सिंह,रुस्तमसिंह, परमाल सिंह, तेहसीलदारसिंह, गुड्डूसिंह पुत्रगण रामनाथसिंह समभाग 1/2 जा. बघेल नि.ग्राम भूमिस्वामी, मुन्नालाल, धनीराम पुत्रगण छत्रपाल समभाग 1/2 जा. जाटव नि.ग्राम भूमिस्वामी	291	0.310	0.130	—
21	मुन्नीदेवी, रामदास पुत्री दीनदयाल भाग रकवा 0.68 जा. बघेल भूमि स्वामी, श्रीप्रकाश पुत्र चिंरोजीलाल भाग रकवा 1.27, अंतराम फुन्दीसिंह, धारासिंह, पुत्रगण रामफल समान भाग 1/20, जा. बघेल, नि. ग्राम भूमि स्वामी, मौजीसिंह बीरेन्द्रसिंह, मेघनाथ पुत्रगण चोखीराम समानभाग 1/20, हरनाराण, बाबूराम, पुत्रगण पोखन समानभाग 1/10 मु. सुशीलादेवी बेवा पन्नालाल, फुदीसिंह पुत्र रामफल जा. बघेल नि. ग्राम समान भाग 1/20 भूमि स्वामी, सुघरसिंह कप्तानसिंह पुत्रगण बंशी समानभाग 1/4, जा. बघेल, सोबरनसिंह पुत्र महावीरसिंह भाग 1/12 जा. ठाकुर, नि.—जमहोरा भूमि स्वामी	289 301	0.370 0.110	0.050 0.040	— —
	किता 2			0.090	—
22	सुल्तानसिंह, पुत्र गोपीसिंह जा. गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	302	0.040	0.030	—
	महायोग		किता-35	1.800	—

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा भिण्ड, में किया जा सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी अटेर, जिला-भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण,संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम चंबल-संभाग ग्वालियर में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 03-2016-17-अ-82.—

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की पावई-पृथ्वीपुरा मार्ग परियोजना के लिये ग्राम-तरसोखर, तहसील अटेर, जिला भिण्ड में मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामियों द्वारा नीति की काण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत सर्व साधारण के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने वाले पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

क्रय (अर्जन) की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला	—	भिण्ड
तहसील	—	अटेर
ग्राम	—	तरसोखर
क्षेत्रफल	—	रकवा 1.440 हेक्टेयर

अनुसूची

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम/जाति एवं निवास स्थान	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण (हे.में)			अन्य परिसंपत्ति
		प्रस्तावित सर्वे क्र.	कुल रकवा (हे.में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	
1	2	3	4	5	9
1	मनीष कुमार, अंशू भगन पुत्रगण मुसरीलाल, समभाग 1/6, रविन्द्र कुमार, भानप्रकाश, पुत्रगण लालताप्रसाद समानभाग 2/6, त्रिभुवनप्रकाश, अयोध्याप्रकाश आत्मज बुद्धप्रकाश समभाग 1/2 जा. ब्रा. भूमि स्वामी	527 927 किता 2	0.190 0.260 -	0.040 0.030 0.070	— — —
2	देवीसिंह पुत्र हजारीसिंह, मु. लीलाबेटी बेवा जयसिंह ठाकुर नि. अंगदपुरा, सम-भाग भूमिस्वामी	535	0.080	0.010	—
3	गौरीबाई पत्नी भीकमसिंह जा. ठा. नि. अंगदपुरा भूमिस्वामी	533	0.360	0.040	—
4	सुनील कुमार, राकेश कुमार, राजीव कुमार पुत्रगण धर्मनारायण, ब्रा.नि.ग्राम, मु. श्यामादेवी बेवा धर्मनारायण ब्रा. नि.ग्राम सम 1/2 भाग, नरेशचंद पुत्र मुक्ताप्रसाद ब्रा. नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	530 525 किता 2	0.070 0.170 -	0.050 0.050 0.100	— — —
5	भरत कुमार, बीरेन्द्र कुमार पुत्रगण दीपचंद, राजेन्द्रनाथ, नरेन्द्रनाथ, श्रीनाथ पुत्रगण कालीचरन ब्रा. नि. ग्राम सम भाग भूमिस्वामी	529 768 किता 2	0.070 0.010 -	0.010 0.020 0.030	— — —
6	कृष्णविहारी पुत्र रनवीरसिंह जा.ठा. अंगदपुरा, भूमिस्वामी	850	0.360	0.150	—
7	गिराज पुत्र कल्याणसिंह, जा. ठा. अंगदपुरा भूमि स्वामी	875	0.200	0.010	—

8	राकेश कुमार पुत्र उमाशंकर 1/2 भाग, चिंतामणी, सुधीर कुमार पुत्रगण निरंजनलाल भाग 1/2 ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी	524	0.150	0.040	—
		921	0.540	0.140	—
		किता 2		0.180	—
9	खरगजीत, बीरेन्द्र कुमार, मनोज कुमार पुत्रगण विशम्बर दयाल, इन्द्रादेवी बेवा सुरेन्द्रनाथ समभाग 1/2, गोविन्द प्रसाद पुत्र चूरामन भाग 1/2 जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	767	0.010	0.010	—
		769	0.190	0.010	—
		किता 2	-	0.020	—
10	रामदत्त, रामवरन पुत्रगण राधाकृष्ण मु. गौमता बेवा राधाकृष्ण गडरिया नि.ग्राम 1/2 भाग, रघुनाथ पुत्र पोथीराम भाग 1/2 नि. ग्राम भूमिस्वामी	770	0.130	0.030	—
11	रामविलाससिंह पुत्र रामदाससिंह, रामवीरसिंह पुत्र शिवसिंह ठा. नि. अंगदपुरा सम भाग भूमिस्वामी	771	0.160	0.010	—
12	ख्यालीराम पुत्र विशाल भाग 1/2, रावेन्द्रसिंह अरविंदसिंह, गजेन्द्रसिंह पुत्रगण भोगीराम नाई, सम भाग 1/2, भूमिस्वामी नि. ग्राम	869	0.180	0.060	—
13	रामसिंह, मलथूसिंह, बलवीरसिंह, पुत्रगण देवीसिंह ठा. नि. अंगदपुरा 1/2 भाग, विश्वनाथसिंह, पोहपसिंह पुत्र बिजेन्द्रसिंह उर्फ भगनीसिंह ठा. नि. अंगदपुरा, भाग 1/2, भूमिस्वामी	876	0.160	0.020	—
		924	0.130	0.040	—
		किता 2	-	0.060	—
14	कोमलसिंह, अमरसिंह पुत्रगण रामदास ब्रा.नि.ग्राम भूमिस्वामी	879	0.150	0.060	—
15	अतिराजसिंह, दशरथसिंह, भूपसिंह, रामचंदसिंह, रूपसिंह पुत्रगण राजबहादुरसिंह ठा. नि. अंगदपुरा	880	0.030	0.010	—
		928	0.250	0.020	—
		किता 2		0.030	—
16	कंचनदेवी पत्नी रामदाससिंह ठा. नि. ग्राम भूमिस्वामी	881	0.460	0.010	—
		912	0.520	0.120	—
		932	0.290	0.020	—
		किता 3	-	0.150	—
17	रामविलाससिंह, कोमलसिंह, अमरसिंह, लालसिंह पुत्रगण रामदाससिंह ठा. नि. अंगदपुरा, भूमिस्वामी	911	0.380	0.090	—
18	शिवदत्तसिंह, रामकिशुनसिंह पुत्रगण दौलतसिंह ठा. नि. अंगदपुरा भूमिस्वामी	925	0.130	0.030	—
19	नारायणसिंह, बटई उफ मोहनलाल पुत्रगण चिमनसिंह भाग 2/3, महेशसिंह, राकेशसिंह, दिनेशसिंह, अवधेशसिंह पुत्रगण शिवचरन सिंह, मु. प्रेमादेवी बेवा शिवचरन बघेल, भाग 1/3 नि. ग्राम भूमिस्वामी	926	0.120	0.030	—
20	रूपसिंह पुत्र राजबहादुरसिंह जा.ठा. नि. अंगदपुरा भूमिस्वामी	931	0.140	0.030	—
21	सिदवीरसिंह, धर्मवीरसिंह पुत्रगण शिवसिंह ठा. नि. चोमो, भूमि स्वामी	933	0.260	0.050	—
22	अतिराजसिंह, दशरथसिंह, रामानन्दसिंह, रूपसिंह पुत्रगण राजबहादुरसिंह जा.ठा. नि. अंगदपुरा भूमि स्वामी	937	0.660	0.060	—
23	नाथसिंह पुत्र साहबसिंह ठा. नि. अंगदपुरा, भूमिस्वामी	940	1.410	0.140	—
महायोग		किता 32	-	1.440	—

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा भिण्ड, में किया जा सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी अटेर, जिला-भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम चंबल-संभाग ग्वालियर में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 04-2016-17-अ-82.—

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की पावई-पृथ्वीपुरा मार्ग परियोजना के लिये ग्राम-चौम्हो, तहसील अटेर, जिला भिण्ड में मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामियों द्वारा नीति की काण्डिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत सर्व साधारण के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने वाले पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

क्रय (अर्जन) की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला	—	भिण्ड
तहसील	—	अटेर
ग्राम	—	चौम्हो
क्षेत्रफल	—	रकवा 4.07 हेक्टेयर

अनुसूची

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/जाति एवं निवास स्थान	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण (हे. में)			अन्य परिसंपत्ति
		प्रस्तावित सर्वे क्रमांक	कुल रकवा	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे.	
1	2	3	4	5	6
1	देवकी पत्नी किशुनसिंह ठा. नि. भूमि स्वामी	1072	0.38	0.06	—
2	पेशगारसिंह, शेरसिंह पुत्रगण हरदेवसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	1073	0.28	0.08	—
3	रवेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्रगण अतिबलसिंह ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी,	1075	0.43	0.04	—
4	अनूपसिंह, उदयभानसिंह, राजासिंह पुत्रगण निहालसिंह, रानीदेवी बेबा निहालसिंह संभाग बसराह नं. 1003 ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी,	1132	0.38	0.04	—
		1133	0.41	0.03	—
		1144	0.27	0.11	—
		किता 3	—	0.18	—
5	प्रहलादसिंह, बादशाहसिंह, वीरबलसिंह पुत्रगण सीतारामसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी,	1138	0.25	0.04	—
6	वीरबलसिंह पुत्र सीतारामसिंह, छोटेसिंह पुत्र सहदेव सिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी, सम भाग	1139	0.17	0.02	—
7	अशोकसिंह पुत्र बाँकेसिंह, हि. 1/2, बाँकेसिंह पुत्र भोगीसिंह हि. 1/2 ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	1140	0.17	0.02	—
8	गरसिंह, मोहरसिंह, गंगाधरसिंह पुत्रगण रोशनसिंह ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी बसराह नं. 16	1141	0.56	0.08	—

9	रामवीरसिंह, सिंहवीरसिंह, कर्मवीरसिंह पुत्रगण शिवसिंह, मु. रामादेवी बेबा शिवसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी हि.3/4, रामदाससिंह पुत्र जोरसिंह ठा. नि.ग्राम हि. 1/4	1142	0.54	0.10	-
10	पेशगारसिंह, शेरसिंह पुत्रगण हरदेवसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी, जगदेवसिंह, काशीरामसिंह पुत्रगण भागीरथसिंह ठा. नि. ग्राम आधिपत्य कृषक	1145	0.05	0.01	-
11	पेशगारसिंह, शेरसिंह पुत्रगण हरदेवसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	1146	0.06	-0.01	-
12	मजबूतसिंह, कल्याणसिंह, जितेन्द्रसिंह, सियारामसिंह, रामकुमारसिंह, अरविंदसिंह पुत्रगण श्री कृष्णसिंह, मु. विमला, देवी बेबा श्रीकृष्णसिंह समभाग जा. ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	1147	0.28	0.02	-
13	रामवीरसिंह, सिंहवीरसिंह, कर्मवीरसिंह पुत्रगण शिवसिंह, मु. रामादेवी बेबा शिवसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	1148	0.29	0.03	-
14	बांकेसिंह, पुत्र भगीसिंह रकवा 0.14 परमालसिंह पुत्र अतिबलसिंह रकवा 0.15 ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	1149	0.29	0.03	-
15	रामप्रकाशसिंह, किशनसिंह, बलमंतसिंह पुत्रगण हनुमंतसिंह, सहदेवी बेबा हनुमंतसिंह हि.1/3, रामभरोसेसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रगण घमण्डीसिंह हि. 2/3 ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	1150	0.33	0.10	-
16	अशोकसिंह पुत्र बांकेसिंह हि. 1/2, बांकेसिंह पुत्र भोगीसिंह हि. 1/2 ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	1152	0.27	0.02	-
17	अवधेशसिंह, करनसिंह, गिरराजसिंह, उदन्नसिंह, सिरोमनिसिंह पुत्रगण राजेन्द्रसिंह, चन्दादेवी बेबा राजेन्द्रसिंह ठा. हि.1/2, छोटेसिंह पुत्र श्रीपतसिंह ठा. हि. 1/2, नि.ग्राम भूमि स्वामी	2138	0.12	0.09	-
18	हनुमंतसिंह, बेतालसिंह, परमालसिंह पुत्रगण जयसिंह ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2139	0.38	0.14	-
19	तुरसनसिंह, वकीलसिंह पुत्रगण जगन्नाथसिंह हि. 2/3, नन्दकिशोर पुत्र हुकुमसिंह हि. 1/3 ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	2142	0.10	0.03	-
20	प्रहलादसिंह, बादशाहसिंह, वीरबलसिंह पुत्रगण सीतारामसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी,	2144	0.25	0.03	-
21	करमवीर सिंह, छोटेसिंह पुत्रगण भोगीराम समभाग कैलाशीदेवी बेबा भोगीराम 1/6, आशाराम पुत्रगण झम्मनसिंह भाग 1/6, ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी, थानसिंह पुत्र झम्मनसिंह हि. 1/16 मु. गुंजाबाई बेबा थानसिंह ठा., रुरतमसिंह, रामहेतसिंह, राजेशसिंह पुत्रगण थानसिंह ठा. हि. 1/48, दिमानसिंह पुत्र लायकसिंह ठा. हि.1/4, गरसिंह, मोहरसिंह, गंगाधरसिंह पुत्रगण रोशनसिंह ठा. नि.ग्राम भूमि स्वामी, हि. 1/2 नि.ग्राम भूमि स्वामी,	2153	0.82	0.01	-
22	करमवीर सिंह, छोटेसिंह पुत्रगण भोगीराम समभाग 2/5, कैलाशीदेवी बेबा भोगीराम 1/5, धर्मेन्द्र, बदनसिंह पुत्रगण रामप्रकाश, मन्जूदेवी पत्नी रामप्रकाश सम भाग 1/5, इंद्रजीतसंह, बिजेन्द्रसिंह पुत्रगण हवलदारसिंह, शकुंतलादेवी बेबा हवलदारसिंह सम भाग 1/5 दर भाग 1/2 नि.ग्राम भूमि स्वामी, आसारामसिंह पुत्र झम्मनसिंह हि. 1/12, रुरतमसिंह, रामहेतसिंह, राजेशसिंह पुत्रगण थानसिंह, मु. मुज्जबाई बेबा थानसिंह सम भाग 1/12, मुरारीसिंह, गुडनदेवलाल सिंह, राघवेन्द्रसिंह पुत्रगण दिमानसिंह, समभाग 1/4, गरसिंह, मोहरसिंह, गंगाधरसिंह पुत्रगण रोशनसिंह सम भाग 1/2 ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2154	0.24	0.07	-
23	भोगीराम पुत्र रघुनाथसिंह ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2155	0.20	0.07	-
24	शेरसिंह पुत्र हरदेवसिंह ठा. भूमि स्वामी, जगदेवसिंह, काशीरामसिंह पुत्रगण भागीरथसिंह ठा. नि. ग्राम आधिपत्य कृषक	2156	0.25	0.05	-
25	सतोषसिंह पुत्र जनदेवसिंह, महिला लक्ष्मीबाई बेबा जनदेवसिंह ठा. हि. 1/8, रामशरणसिंह पुत्र रामनाथसिंह ठा. हि. 1/8, हनुमंतसिंह, बेतालसिंह, परिमालसिंह पुत्रगण जयसिंह ठा. हि. 1/4, राजेन्द्रसिंह, छोटेसिंह पुत्रगण श्रीपतसिंह ठा. हि. 1/4, गजेन्द्रसिंह, रामचन्द्रसिंह पुत्रगण उदयसिंह ठा. हि. 1/4 नि. ग्राम भूमि स्वामी	2157	0.38	0.01	-

26	रामहेलसिंह, शिवरामसिंह पुगण अजबसिंह समान भाग 1/2 टा. नि. ग्राम भूमि स्वामी, मुन्शीसिंह, जुडनसिंह, देवलालसिंह, राजेन्द्रसिंह, पुगण दिमनसिंह समान भाग 1/4, गम्पूसिंह, टीकारामसिंह, मास्टरसिंह, बजरंगसिंह पुत्रगण थोबलसिंह समानभाग 1/4 टा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2196	0.18	0.07	-
27	हजारी सिंह पुत्र उलफतसिंह टा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2198	0.21	0.02	-
28	बादशाह सिंह, बीरबलसिंह पुत्रगण देवीसिंह जा.टा. नि.ग्राम भूमि स्वामी,	2222	0.07	0.01	-
29	हुकुमसिंह पुत्र तांतीसिंह जा. टा. नि.ग्राम भूमि स्वामी	2228	0.04	0.04	भवन का अंश
30	जखेलसिंह, यत्नासिंह, महतावसिंह शेरसिंह, अनारसिंह, मुन्नेश्वरसिंह, सुरेशसिंह पुत्रगण चन्धनसिंह टा. नि.ग्राम भूमि स्वामी सम भाग	2256	0.23	0.09	-
31	गन्धर्वसिंह, किशुनसिंह, चिन्तामनसिंह पुत्रगण रामबाबूसिंह समभाग 3/4, भरतसिंह, नवलसिंह पुत्रगण परमालसिंह, मु. मुन्नीदेवी बेबा परमालसिंह टा. नि. अंगदपुरा भाग 1/4 भूमि स्वामी	2257	0.28	0.12	-
32	गिराजसिंह, भूरेसिंह पुत्रगण कल्याणसिंह, मु. उमादेवी बेबा कल्याणसिंह, समानभाग 1/24, कृष्णविहारीसिंह पुत्र रणवीरसिंह, मु. सुदामाबाई बेबा रणवीरसिंह सम भाग 1/12 दर भाग 1/8 भूमि स्वामी, बलवीरसिंह, रामसिंह, श्यामसिंह आत्मज देवीसिंह सम भाग 3/8, दर भाग 1/4, नेकरामसिंह, विश्वनाथसिंह, त्रिजेन्द्रसिंह आत्मज मगनीसिंह, मु. मथुराबाई बेबा मगनीसिंह समभाग 1/4 भूमि स्वामी, रामसेवकसिंह, रामस्वरूप सिंह आत्मज रामदाससिंह सम भाग 1/2 टा. नि. अंगदपुरा भूमि स्वामी	2259	0.20	0.03	-
33	छोटेकिनू, बृजकिशोर पुत्रगण काशीप्रसाद ब्रा. नि.ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी, सच्चिदानंद पुत्र श्री गोविन्द ब्रा. नि.ग्राम 1/18 भाग भूमि स्वामी महिला बहोरी बेबा श्री गोविन्द ब्रा. नि. ग्राम 1/36 भाग भूमि स्वामी, शिवदयाल, रामानंद पुत्रगण प्रागनारायण ब्रा. नि.ग्राम सम 1/4 भाग भूमि स्वामी, हरविलास, हरनारायण, रामकुमार उर्फ रामप्रकाश पुत्रगण सुखनारायण ब्रा. नि.ग्राम सम 1/2 भाग भूमि स्वामी	2264	0.54	0.08	-
34	छोटेकिनू, बृजकिशोर पुत्रगण काशीप्रसाद हि. 1/3 सच्चिदानंद पुत्र श्री गोविन्द हि. 5/48, बिहारी बेबा श्री गोविन्द हि. 1/16, शिवदयाल, रामानंद पुत्रगण प्रयागनारायण हि. 1/2 ब्रा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2269	0.05	0.03	-
35	बादशाहसिंह पुत्र देवी सिंह जा. टा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2270	0.96	0.24	-
36	रामसेवकसिंह पुत्र. अकबरसिंह जा. टा. नि. ग्राम भूमिस्वामी महिला रामदुलारी बेबा अकबरसिंह जा. टा. पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी, जगदेवसिंह, काशीरामसिंह पुत्रगण भागीरथसिंह टा. नि. ग्राम सम 1/4 भाग भूमि स्वामी, पेशमार सिंह पुत्र हरदेवसिंह टा. नि. ग्राम 1/8 भाग भूमि स्वामी, सरनामसिंह पुत्र वसावनसिंह टा. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी, मुं. कलावती बेबा रघुवीरसिंह टा. नि. ग्राम सम 1/12 भाग भूमि स्वामी, रामनरेश पुत्र बट्टीसिंह टा. नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी, सत्येन्द्रसिंह पुत्र लाखनसिंह मु. धिमली बेबा लाखनसिंह टा. नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी. वरभाग 1/24	2379	0.88	0.10	-
		2380	0.54	0.07	-
		किता 2	-	0.17	-
37	लाखनसिंह पुत्र कपूरसिंह बिट्टीदेवी पत्नी लाखनसिंह टा. नि. ग्राम समान भाग भू-स्वामी	2432	0.18	0.02	-
38	केदारसिंह, पुत्र रघुवीर सिंह 1/2, धुरन्दरसिंह पुत्र महादेवसिंह, सूरजमुखी बेबा महादेव जा. बघेल नि. बसवाया का पुरा भूमि स्वामी	2433	0.13	0.12	-
39	अमृतसिंह पुत्र श्यामसिंह टा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2434	0.15	0.07	-
		2436	0.12	0.01	-
		किता 2	-	0.08	-

40	मुकुटसिंह, मलखान पुत्रगण सरनाम जा. गड़रिया नि. ग्राम भूमि स्वामी, राजभान नाबा. पुत्र सरनामसिंह सर. मां. लोंगश्री बेवा सरनाम जा. गड़रिया नि. ग्राम समान भाग 1/16 भूमि स्वामी, लज्जाराम, बंदी, शिवनारायण पुत्रगण वारेसिंह जा. गड़रिया नि. ग्राम सम 3/16 भाग भूमि स्वामी, आशाराम, परसराम पुत्रगण गुलझारी जा. गड़रिया नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी, देववक्स, सूरतराम पुत्रगण अजुददी जा. गड़रिया नि. भाग 1/4 भूमि स्वामी, जीवाराम, रतीराम, रूस्तम पुत्रगण फुन्दी जा. गड़रिया नि. ग्राम समान भाग 1/8 भाग भूमि स्वामी, केदार पुत्र रामसहाय भाग 1/16 जा. गड़रिया नि. ग्राम भूमि स्वामी, बृजकिशोरसिंह पुत्र भोगीराम सिंह रकवा 0.12 जा. ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी	2442	0.37	0.02	-
41	श्यामसिंह पुत्र रघुनाथसिंह ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी बशरह नं. 1268	2445	0.28	0.05	-
42	श्यामसिंह, भोगीराम पुत्रगण रघुनाथसिंह समभाग ठा. नि. ग्राम भूमि स्वामी बशरह नं. 1268	2446	0.28	0.05	-
43	संतोष, दिनेश, मुकेश पुत्रगण रामेश्वरसिंह, मं. राजा बेबा रामेश्वर जा. बघेल, नि. वसवाया का पुरा, भूमि स्वामी	2458	0.10	0.04	-
		2459	0.37	0.12	-
		2462	0.20	0.04	-
		2518	0.19	0.05	-
		किता 4	-	0.25	-
44	रामप्रकाश पुत्र पातीराम जा. बघेल नि. वसवाये का पुरा 1/2 भाग, भूमि स्वामी, फोदलसिंह, गिरवरसिंह पुत्रगण लोटनसिंह जा. बघेल नि. वसवाये का पुरा सम 1/2 भूमि स्वामी	2465	0.29	0.01	-
45	केदार पुत्र रामसहाय जा. बघेल नि. वसवाये का पुरा 1/2 भाग, भूमि स्वामी, मानसिंह पुत्र सरनामसिंह जा. बघेल वसवाये का पुरा सम 1/2 भूमि स्वामी	2466	0.23	0.01	-
46	ग्याप्रसाद पुत्र हरिविलास जा. बघेले नि. वसवाये का पुरा 5/24 भाग भूमि स्वामी, सूरतराम पुत्र बंदीप्रसाद जा. बघेले नि. वसवाये का पुरा 1/8 भाग भूमि स्वामी, श्रीकृष्णसिंह, छोटेसिंह, पुत्रगण ग्याप्रसाद जा. बघेले नि. वसवाये का पुरा 1/3 भाग भूमि स्वामी, जन्डेलसिंह पुत्र चमनसिंह जा. ठा. नि. अंगदपुरा 1/3 भाग भूमि स्वामी, रामचन्द्र पुत्र गिरधारी जा. गड़रिया नि. ग्राम अधिप्रत्ये कृषक बशरह नं. 2486	2487	0.10	0.01	-
		2489	0.39	0.13	-
		किता 2	-	0.14	-
47	श्यामवीर पुत्र रनसिंह ठा. नि. अंगदपुरा 1/4 भाग भूमि स्वामी कम्पोटर पुत्र पोतीराम जा. बघेल नि. वसवाये का पुरा 1/4 भाग भूमि स्वामी, रामप्रकाश पुत्र पातीराम जा. बघेल नि. वसवाये का पुरा 1/2 भाग भूमि स्वामी	2490	0.50	0.02	-
		2517	0.56	0.04	-
		किता 2	-	0.06	-
48	श्यामवीर पुत्र रनसिंह जा. ठा. नि. ग्राम रकवा 0.21 भाग भूमि स्वामी, रामप्रकाश, कम्पोटर, लल्लू छोटेला पुत्रगण पातीराम जा. गड़रिया पता नि. ग्राम समरकवा 0.30 भाग भूमि स्वामी दर भाग 1/4, बनवारी पुत्र ज्वाला जा. गड़रिया नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी कम्मोदसिंह पुत्र पातीराम जाति गड़रिया नि. ग्राम 1/2 भाग	2519	0.21	0.04	-
49	मुकुटसिंह बगैरह बदरा मलखान पुत्रगण सरनाम जा. गड़रिया नि. ग्राम भूमि स्वामी, राजभान नाबा. पुत्र सरनामसिंह सर. मां. लोंगश्री बेवा सरनाम जा. गड़रिया नि. ग्राम समान भाग 1/16 भूमि स्वामी, लज्जाराम, बंदी, शिवनारायण पुत्रगण वारेसिंह जा. गड़रिया नि. ग्राम सम 3/16 भाग भूमि	2522	0.58	0.20	-
50	मुकुटसिंह, मलखानसिंह, रजभानसिंह पुत्रगण सरनामसिंह जा. बघेले, मां. पट्टाधारी रकवा 0.12, मोहरसिंह पुत्र तातीसिंह बघेले रकवा 0.21 शा. पट्टाधारी, सूरतराम, देवसिंह पुत्रगण अजुद्धि	2528	0.41	0.15	-
51	मोहरसिंह पुत्र ताती सिंह जा. बघेल नि. वसवाया का पुरा, भूमि स्वामी	2529	0.05	0.04	-
		2531	0.09	0.01	-
		किता 2	-	0.05	-

52	रामोतारसिंह पुत्र गुपालसिंह डा. नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वावमी, पिश्थीसिंह बलराम सिंह, मलखानसिंह, पुत्रगण नबाबसिंह डा नि. ग्राम सम भाग 1/2 भूमि स्वामी	2536	0.23	0.13	--
		2538	0.16	0.10	--
		2539	0.32	0.13	--
		2568	0.33	0.12	--
		2569	0.19	0.05	--
		2570	0.17	0.05	--
		किता 6	--	0.58	--

स्थावर परिसम्पत्ति भवन

सर्वे क्र.	कुल रकवा हे. में	नाम-मजरा-आबादी	धारक का नाम एवं पता	स्थावर परिसंपत्ति का प्रकार	स्थावर परिसंपत्ति का आकार वर्ग.मी. में
1	2	3	4	5	6
2473	0.630	बसवाया	1. जीवाराम पुत्र तुन्दी नि. वसवाया	भूमि	39.77
				निर्मित भवन	39.77
			2. छविरामदास पुत्र पातीराम नि. वसवाया	भूमि	22.00
				निर्मित भवन	22.00
			3. रामप्रकाश पुत्र पातीराम नि. वसवाया	भूमि	89.10
				निर्मित भवन	55.35
			4. पानसिंह पुत्र बन्सी नि. वसवाया	भूमि	41.63
				निर्मित भवन	12.65
			5. दिल्लीराम पुत्र दयाराम नि. वसवाया	भूमि	37.40
				निर्मित भवन	--
			6. अमरसिंह पुत्र रामभरोसे नि. वसवाया	भूमि	3.65
				निर्मित भवन	--
			7. करनसिंह पुत्र रामभरोसे नि. वसवाया	भूमि	4.00
				निर्मित भवन	4.00
			8. मंदिर स्थान-वसवाया शासकीय पक्का कुआ	भूमि	--
				पक्का कुआ	--
			9. कम्पोटर पुत्र पातीराम नि. वसवाया	भूमि	87.75
				निर्मित भवन	54.00
			10. रतनसिंह पुत्र पोद्दार नि. वसवाया	भूमि	7.70
				निर्मित भवन	18.60

सर्वे क्र.	कुल रकवा हे. में	नाम-मजरा-आबादी	धारक का नाम एवं पता	स्थावर परिसंपत्ति का प्रकार	स्थावर परिसंपत्ति का आकार वर्ग.मी. में
1	2	3	4	5	6
2473	0.630	बसवाया	11. रघुवीरसिंह पुत्र बट्टीसिंह नि. वसवाया	भूमि	54.72
				निर्मित भवन	16.50
			12. महाराजसिंह पुत्र गोपी नि. वसवाया	भूमि	12.64
				निर्मित भवन	39.90
			13. मेवारास पुत्र देवीसिंह नि. वसवाया	भूमि	54.72
				निर्मित भवन	54.72
			14. दिनेश पुत्र रामेश्वर नि. वसवाया	भूमि	53.00
				निर्मित भवन	-
			15. दिनेश पुत्र रामेश्वर नि. वसवाया	भूमि	87.12
				निर्मित भवन	41.20
			16. रामसिया पुत्र रामदयाल नि. वसवाया	भूमि	16.05
				निर्मित भवन	16.05
			17. कालीचरन पुत्र तलीराम नि. वसवाया	भूमि	68.22
				निर्मित भवन	51.12
			18. अमरसिंह पुत्र रामदयाल नि. वसवाया	भूमि	68.32
				निर्मित भवन	24.64
			19. आनंदी पत्नी कमलसिंह नि. वसवाया	भूमि	2.80
				निर्मित दीवाल	2.80
			20. रामबहादुरसिंह पुत्र रामभरोसे नि. वसवाया	भूमि	11.00
				निर्मित भवन	3.30

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा भिण्ड, में किया जा सकता है।
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी अटेर, जिला-भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण,संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम चंबल-संभाग ग्वालियर में किया जा सकता है।

इलैया राजा टी., कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील हातोद, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

हातोद, दिनांक 17 फरवरी 2017

क्र. 151-भू-अर्जन-2017-क्रमांक 12-अ-82-16-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँधी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	कराड़िया प.ह.नं.- 30	77/2	0.029
			252/2	0.047
			252/3	0.085
			253/1	0.121
			254	0.023

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	कराड़िया प.ह.नं.- 30	361/1	0.025
			255	0.002
			353	0.061
			354	0.011
			360/1	0.198
			360/2	0.097
			292	0.024
			352/2	0.068
			366/2	0.013
			366/7	0.067
			405/1	0.115
			412/1	0.068
			413/1	0.036
			413/2	0.117
			438/2/1	0.133
			438/2/2	0.132
			438/1	0.095
			439	0.112
			440/1	0.001
			440/2	0.115
441/1	0.166			
445	0.002			
कुल योग			27	1.963

क्र. 156-भू-अर्जन-2017-क्रमांक 9-अ-82-16-17.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	हसनाबाद प.ह.नं.- 02	232/3	0.018
			232/10	0.001
			233/1	0.081
			233/2	0.126
			235/1	0.003
कुल योग			5	0.229

क्र. 161-भू-अर्जन-2017-क्रमांक 2-अ-82-16-17.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	आगरा प.ह.नं.- 04	83	0.003
			85/1	0.005
			87	0.003
			92	0.068
			88	0.036

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	आगरा प.ह.नं.- 04	89/1/2	0.036
			91/1	0.050
			91/2	0.036
			93/1	0.058
			93/2	0.086
			94/1	0.077
			94/2	0.002
			96/2	0.072
			98/2	0.122
			131/2	0.054
			131/3	0.052
			131/1/1	0.119
			132/1/1	0.023
			132/2/min-1	0.014
			134/1	0.117
134/2	0.324			
कुल योग			21	1.357

क्र. 166-भू-अर्जन-2017-क्रमांक 7-अ-82-16-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बाँयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मुरखेड़ा प.ह.नं.- 01	233/1	0.036
			240	0.101
			241/1	0.022
			241/2	0.059
			242/1/1/2	0.050

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मुरखेड़ा प.ह.नं.- 01	242/2	0.083
			242/4	0.100
			242/5/2	0.101
			243/1	0.048
			245/5	0.024
			245/2	0.101
			246	0.050
			249/2	0.004
			250/1	0.011
			252/2	0.029
			250/2	0.049
			250/3	0.010
			251	0.054
			253/3	0.059
			252/1	0.032
			252/3	0.138
			252/4	0.001
			303	0.115
			281/1	0.060
			282	0.058
			283/2	0.054
			284/2	0.191
			284/3	0.133
			304/4	0.050
			776/2	0.047
			778	0.070
			779/1	0.068
			797/1	0.056
			799/2/1	0.001
			799/2/2	0.119
			802	0.079
			804	0.104
805/1	0.001			
805/2	0.040			
805/3	0.032			
805/4	0.041			
807	0.072			
808/1	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	मुखेड़ा प.ह.नं.- 01	816/1	0.111
			817	
			816/4	0.047
			816/2	0.090
			818	0.068
			820/2\	
			822/5	0.022
			826/3	0.005
			829/1	0.061
			829/2	0.047
			829/3	0.040
कुल योग			55	3.086

क्र. 171-भू-अर्जन-2017-क्रमांक 1-अ-82-16-17.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	सिंगावदा प.ह.नं.- 32	108/3	0.124
			110/1	0.002
			111	0.135
			117	0.086

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	सिंगावदा प.ह.नं.- 32	133/1	0.072
			133/3	0.169
			134/1	0.120
			134/2/1	0.030
			134/2/2	0.031
			148/1	0.074
			170/1	0.173
			148/7	0.040
			148/9	0.018
			148/8	0.082
			150/1	0.052
			150/2	0.001
			151/1	0.007
			152/1	0.076
			154/1/1	0.007
			170/2	0.005
			174/1	0.052
			175/2	0.068
			176/3	0.030
177/1	0.139			
177/2/4	0.074			
180/1	0.086			
कुल योग			26	1.753

क्र. 176-भू-अर्जन-2017-क्रमांक 5-अ-82-2016-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना की बॉयी तट बहाव की मुख्य नहर के निर्माण के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम- इंगोरिया, तहसील- बड़नगर, जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 08, सनावद, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	गोहान प.ह.नं.- 29	79/1/3/2	0.024
			79/2/2	0.077
			79/7	
			79/2/3	0.023
			79/2/4	0.036

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	हातोद	गोहान प.ह.नं.- 29	79/3/1	0.054
			79/4/1	0.083
			79/4/2	0.083
			82/2	0.061
			82/4	0.130
कुल योग			10	0.571

अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 22/25 नवम्बर 2016

क्र. 03 अ-82-15-16-10680.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	घोड़ाडोंगरी	कटासुर	1.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल (म.प्र.).	सालीवाड़ा जलाशय की नहर में आने के कारण निजी भूमि का अर्जन.

- (2) चूंकि सालीवाड़ा जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बैतूल, दिनांक 3 दिसम्बर 2016

क्र. 05 अ-82-15-16-11008.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	घोड़ाडोंगरी	डुल्हारा	1.831	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल (म. प्र.).	डुल्हारा जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण निजी भूमि का अर्जन.

- (2) चूंकि डुल्हारा जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संयवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बैतूल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 7अ-82 वर्ष-2014-15-11235.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैंसदेही	कौड़िया	1.772	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल.	कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर एवं स्पिल चैनल का पूरक भू-अर्जन.

- (2) चूंकि कौडिया जलाशय योजना के बांध, नहर एवं स्पिल चैनल का पूरक भू-अर्जन हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 08अ-82-2015-16-11238.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	भैंसदेही	डोडाजाम	4.314	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, बैतूल (म.प्र.).	डोडाजाम जलाशय योजना का पूरक अर्जन.

- (2) चूंकि डोडाजाम जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, पूरक अर्जन प्रकरण में कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 जनवरी 2017

संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र. 05-अ-82 वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी/शासकीय खाता)

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—कुण्डलपुर, पडरी सहजपुर, कुंवरपुर, कोटा, बमनपुरा, हरदुआ पहाड़ी, हरदुआ घाट, कुडई, फतेहपुर, सिंगपुर, बिलगुवां, नादिया, वरंट, पथरिया, पटेरा, राजाबंदी, पालाअर्जुनी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.31 हेक्टेयर.

निजी भूमि—

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
ग्राम कुण्डलपुर 536 में से	0.07
ग्राम पडरी सहजपुर 13/1 में से	0.02
ग्राम कुंवरपुर 208/3 में से	0.02
ग्राम कोटा 513/1, 512 में से.	0.02
ग्राम बमनपुरा 489/3 में से	0.02
ग्राम हरदुआ पहाड़ी 116/1 में से.	0.02
ग्राम हरदुआ घाट 173/1, में से.	0.11
योग . .	0.28

(1)

(2)

शासकीय भूमि—

ग्राम कुडई 77 में से	0.07
ग्राम फतेहपुर 149 में से	0.07
ग्राम सिंगपुर 119 में से	0.07
ग्राम बिलगुवां 51 में से	0.07
ग्राम नादिया 98, 99 में से	0.07
ग्राम वरंट 153/2 में से	0.07
ग्राम पथरिया 92 में से	0.07
ग्राम पटेरा (नगर) 644 में से	4.00
ग्राम पटेरा (नगर) 591 में से	0.13
ग्राम हरदुआ घाट 260 में से	0.35
ग्राम राजाबंदी 539 में से	0.07
ग्राम पालाअर्जुनी 240 में से	0.07
योग . .	5.11
महायोग . .	5.39

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ब्यारमा समूह जल प्रदाय हेतु जेक वेल तक पहुंच मार्ग ओव्हर टैंक तथा भू-स्तरीय टंकी निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्र, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 फरवरी 2017

पत्र क्र. 25-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता

हैं। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, लालगांव सुदर्शन कालेज चौरी पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—सिरमौर
 (ग) नगर/ग्राम—कोलहाई
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/3	0.040
41/6	0.040
41/2	0.040
कुल रकबा . .	<u>0.120</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लालगांव सुदर्शन कालेज चौरी अप्रोच रोड मार्ग हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान)कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
 बाणसागर, परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 फरवरी 2017

पत्र क्र. 271-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
 (ख) तहसील—रामनगर
 (ग) ग्राम—अरगत
 (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.685 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
646	0.106
659	0.030
660	0.112
664	0.054
665	0.024
709	0.008
710	0.030
712	0.008
738	0.080
752	0.049
753/1	0.049
753/2	0.012
757	0.069
760	0.008
728	0.024
667	0.022
योग . .	<u>0.685</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 273-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—खोड़री
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.706 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
724	0.034
725	0.060
729/1, 729/2, 729/3	0.016
748/3	0.154
756/1	0.038
757	0.040
763	0.020
766/2	0.141
769/1, 769/2, 769/3	0.109
771/1	0.094
योग	0.706

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 275-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—नौगांव नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.017 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73	0.132
80/1, 80/2, 80/3	0.453
311/4	1.800
99/1/ख	1.809
311/3	0.168
21/694,	0.214
22/695/1, 22/695/2	0.200
27/700	0.045
28/701	0.324
29/702	0.832
30/703	0.056
160/833	0.032
161/834	0.032
162/835/1, 162/835/2,	0.078
162/835/3	
163/836/1, 163/836/2,	0.020
163/836/3	
164/837/1, 164/837/2/1,	0.070
164/837/2/2, 164/837/2/3	
165/838/2/1	0.133
170/843/1, 170/843/2	0.047
224	0.572
योग	7.017

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 277-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—बिहारगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.186 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
142	0.008
152	0.030
156	0.180
165	0.020
168	0.064
172	0.069
177	0.028
178	0.070
202	0.060
203	0.090
204	0.103
275	0.013
271/1, 271/2	0.062
279	0.034
285	0.100
294	0.010
305	0.002
306/1, 306/2	0.105
306/491/1, 306/491/2	0.138
योग	1.186

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्र. -भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—लालबर्वा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम धरपीवाडा,
प.ह.नं. 11, रा.नि.मं. लालबर्वा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.173 हे.
एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
431	0.101
446-448/2	0.040
448/1	0.032
योग	0.173

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ग्राम धरपीवाडा, तहसील लालबर्वा में बडगुड नाले पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dmbalaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्र.-722-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-04-ए-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—नंदगांव
(घ) क्षेत्रफल—0.477 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
17/1	0.073
17/4	0.073
21/7	0.121
23/4	0.210
योग : <u>0.477</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की नंदगांव माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र.-717-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-2-ए-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—मोहीपुरा
(घ) क्षेत्रफल—20.745 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
21/1	0.242
21/2	0.170
22/1	0.198
22/3	0.214
25/1	0.112
25/2	0.162
26	0.222
33/2	0.290
34/1	0.060
34/2	0.080
34/3	0.135
40/1/1	0.152
40/4	0.222
41/1	0.170
42/1	0.130
42/2	0.121
43/1	0.130
43/2	0.150
44/1	0.310
44/2	0.360
50	
72/1	0.190
72/3	

(1)	(2)	(1)	(2)
51/1	0.256	154/1	0.220
51/3	0.101	154/3	0.160
52/1/1	0.120	154/4	0.215
52/1/2	0.125	157/1	
55/4	0.061	157/2	0.055
64	0.048	166/1	0.025
72/2	0.175	167	0.245
72/4	0.070	168/2	
72/5		170/1	0.038
72/6	0.175	168/3	0.105
72/7	0.160	168/4	0.120
76/1	0.140	168/5	
76/2	0.265	170/2	0.120
76/3	0.020	168/6	0.090
76/4	0.067	168/7	0.035
84/1	0.070	170/3	0.360
85/1	0.295	171/2	0.255
85/2	0.098	173/1	0.115
89	0.520	173/2	0.055
90/1	0.027	179/1	
92/2	0.400	180/1	0.100
93/1	0.160	179/2	
103/2	0.365	180/2	0.098
109/1	0.300	179/3	
113/1/1	0.210	180/3	0.210
115/1	0.225	179/4	
116/1क		180/4	0.030
125	0.308	181/1	0.290
126/1/1	0.147	185/1	0.051
126/1/2		185/2	0.160
126/2/1	0.375	185/3	0.070
126/2/2		185/4	0.145
126/3	0.240	186/1	0.090
127	0.648	186/2	0.065
129/2		186/4	0.035
133/3/2	0.095	206/2	0.292
129/3		207/1	
133/3/3	0.150	208/1	0.305
129/4		211/2	0.185
133/3/4	0.165	212/1	0.080
135	0.320	212/2	0.072
148/1	0.255	214/1	0.148
148/2	0.020	225/1	0.720

(1)	(2)	क्र.-718-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-08-ए-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
228/1	0.260	
228/2	0.250	
229/1	0.132	
229/2	0.150	
231/1	0.021	
232/2		
233/1	0.168	
292/3	0.050	
353/1	0.121	
353/2	0.152	
353/3	0.252	
363/1	0.550	
363/2	0.400	
364		
365/1	0.282	
365/2	0.297	
403/2/2	0.041	
408/1ख	0.475	
408/1घ	0.231	
409	0.558	

योग : 20.745

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
 (ख) तहसील—बड़वानी
 (ग) ग्राम—सजवानी
 (घ) क्षेत्रफल—6.634 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1/2	0.170
4/2	0.400
20/2	0.370
21/2	
22/2	
23/22/1	0.041
23/23/1	
34/2	0.700
38/10	0.275
43/1	0.320
43/2	
45/6	0.075
45/7	
43/3	
45/10	0.160
43/4	0.205
44	0.170
45/2	
45/3	
46/2	0.122
46/3	
47/3	
47/16	0.125
47/17	0.300

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी उपनहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

(1)	(2)
79/2	
81/1	0.540
83/1	0.648
84/4	0.036
85/1	
85/5	0.070
97/1	0.235
97/2	0.554
99/2	0.050
101/8/1	0.087
146/6	
146/10	
146/12	0.130
147/1	
148/1	
146/11	0.222
146/13	
147/2	0.097
148/2	
146/16	0.170
146/17	0.022
146/19	0.140
146/21	0.050
146/22	0.070
159/15/2	0.080

योग : 6.634

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर, करी माइनर, पिपलाज माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र.-719-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-09-ए-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—भीलखेड़ा
- (घ) क्षेत्रफल—1.799 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
45/2	0.162
48/1	0.040
48/2	0.110
48/4	0.125
49/3	0.089
51/1	0.040
51/2	0.036
54/2	0.056
54/9	0.142
54/10	0.138
54/13	0.125
54/14	0.113
54/16	0.050
54/17	0.050
54/18	0.145
54/19	0.048
54/20	0.044
66/2	0.250
148	0.036

योग : 1.799

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेड़ा एवं पेण्ड्रा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र.-716-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-1-ए-82- 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-	(1)	(2)
	40/2	0.060
	40/3	0.195
	44/1	0.172
	55/2	0.095
	55/3	0.085
	57/4	0.125
		0.210

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी	57/3	0.150
(ख) तहसील—बड़वानी	61	
(ग) ग्राम—बोरलाय	62/1	0.120
(घ) क्षेत्रफल—25.678 हेक्टेयर.	63/1	
	62/2	
खसरा	62/3	
नंबर	(हे. में)	
(1)	(2)	
2/1/ड	63/2	0.130
2/2/ड	63/3	
2/3/ड	96/1	0.103
3/1/ड	96/3	0.103
3/2/1	96/5	0.182
3/2/2	96/6	0.278
4/1/3	96/7	0.155
4/7	98/1	0.225
5/3	98/2	0.262
5/4	98/3	0.128
6/2	102/4	0.115
6/3	102/5	0.085
7/1	103/1	0.060
7/2	103/2	0.050
11/2	104	
12/3	105	0.630
12/2	106/2/3	0.125
25/2	106/2/4	
26/3	106/2/5	0.255
27/9	106/2/6	0.150
28	111/1	0.170
26/2	111/2	0.172
26/4	111/3	0.072
27/2	112/1	0.440
		0.610

(1)	(2)	(1)	(2)
112/2	0.124	259	0.380
112/3	0.110	260/4	
113	0.187	261	0.020
114/1	0.310	260/5	0.100
114/2	0.620	263/1	0.265
114/3	0.320	263/3	0.140
120/1	0.290	260/6	0.040
121/1	0.155	271	
121/2	0.115	272	0.036
121/3	0.250	273/1	0.095
121/4	0.190	273/2	0.875
122/2	0.425	276/2	0.120
141/2		303/1क	
143	0.325	304/1	0.045
147/5	0.065	330/1	0.201
147/8	0.055	333	0.155
148/2	0.630	335/1	
149/2		336/2	0.170
151/2	0.142	337	0.455
155/1	0.240	338/3	0.075
	<u>0.382</u>	339/2	0.120
155/3/2	0.345		योग : 0.195
155/2		340/1	0.310
157/3	0.150	340/2	0.234
155/2/2		341/2	0.152
157/3	0.220	341/4	0.254
155/4		377/2	
155/5	0.120	378/1	
155/6	0.200	379/1	0.060
195/1	0.032	431/2	
195/2		377/3	
193/2	0.115	378/2	
196/1	0.121	379/2	0.530
196/2	0.060	431/9	
202/2	0.170	380	
209	0.080	381/2	0.605
211	0.040	381/3	
212	0.445	429/3	
213	0.105	429/10	0.020
214/1	0.110	429/11	0.465
214/2	0.045	430/2	0.150
215	0.615	431/9	0.450
229/10	0.202	432	0.460
229/13	0.160	460/1	0.080
229/14	0.305		

(1)	(2)	(1)	(2)
462/3	0.100		
467/4	0.275	3/2	
478/2	0.080	5/2	0.170
		6/2	0.008
योग :	<u>25.678</u>	7/3	0.258
(2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.		7/4	0.097
		9/4	
		10/8	0.008
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		9/5	
		10/9	0.093
		10/1/1	0.100
		10/2/1/ग	0.160
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		10/2/2/4	0.020
		10/2/2/5	0.008
		10/6	0.070
		10/10	0.117
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		9/2	
		11	0.174
क्र.-720-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-06-ए-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-		20/1	0.291
		20/3	0.236
		20/6	0.368
		23	0.105
		योग :	<u>2.601</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
 (ख) तहसील—बड़वानी
 (ग) ग्राम—जामदा
 (घ) क्षेत्रफल—2.601 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4/7	0.100
3/1	
5/1	0.218

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा माइनर एवं नंदगांव माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र.-721-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-03-ए-82- 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-		(1)	(2)
		18/1/2	0.065
		18/2	0.129
		18/3	0.129
		18/4	0.469
		21/2/1	
	अनुसूची	22/1/1	0.048
(1) भूमि का वर्णन—		60/3	0.291
		60/4	0.275
(क) जिला—बड़वानी		60/8	0.134
(ख) तहसील—बड़वानी		61/1	0.105
(ग) ग्राम—बोम्या		61/3	0.186
(घ) क्षेत्रफल—6.494 हेक्टेयर.		61/4	0.186
खसरा	अर्जित रकबा	61/5	0.113
नंबर	(हे. में)	68/4	0.235
(1)	(2)	68/5	0.275
2/3	0.162	70	
2/4	0.352	71/2	0.271
4	0.308	71/5	0.396
5/1	0.138	74/1	
5/2	0.073	76/1	0.202
5/3	0.073	74/3	0.036
9/1	0.202	74/9	
14/1	0.032	76/3	0.129
14/5	0.040	74/10	0.162
14/6	0.028	74/13	
14/7	0.182	76/2	0.093
15/1	0.218	75/2	0.231
16/1	0.097	81/1/1	0.146
16/2	0.081		
16/6	0.113		
18/1/1	0.089		
		योग :	<u>6.494</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा माइनर एवं नंदागांव माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.	(1)	(2)	
	4/1/3		
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	5/1/3	0.202	
	4/1/4		
	5/1/4	0.097	
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.	4/1/5		
	6/1	0.227	
	4/1/6		
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.	5/1/1	0.052	
	4/1/7		
	4/2	0.032	
क्र.-723-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-05-ए-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	4/3	0.020	
	4/4	0.040	
	5/5	0.020	
	5/6/1		
	6/2/1	0.024	
	5/6/2		
(1) भूमि का वर्णन—	6/2	0.024	
	6/3	0.170	
(क) जिला—बड़वानी	7/1	0.194	
(ख) तहसील—बड़वानी	7/6	0.008	
(ग) ग्राम—बलखड	7/9	0.130	
(घ) क्षेत्रफल—4.040 हेक्टेयर.	22/1घ	0.291	
खसरा	अर्जित रकबा		
		23/2	0.140
नंबर	(हे. में)		
		23/3	0.057
(1)	(2)		
		23/4	0.271
4/1/1	0.180		
		23/5	0.089
4/1/2			
		23/6	0.134
5/1/2	0.105		

(1)	(2)	(ग) ग्राम—पेण्ड्रा	(घ) क्षेत्रफल—1.284 हेक्टेयर.
23/7	0.044		
23/8	0.057	खसरा	अर्जित रकबा
23/9	0.344	नंबर	(हे. में)
24	0.550	(1)	(2)
25/1		46/2	0.036
25/2	0.538	46/10	0.064
योग : <u>4.040</u>		46/11	0.089
(2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पिछौड़ी माइनर एवं जामदा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.		49/1	0.097
		49/2	0.262
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		49/3	0.121
		49/8	0.073
		52	0.542
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		योग : <u>1.284</u>	
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		(2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पेण्ड्रा माइनर की ब्रांच माइनर-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	
		(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.	
		(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.	

क्र.-724-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-07-ए-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.